



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032026-271069
CG-DL-E-19032026-271069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 56]

NEW DELHI MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

मामला संख्या: एडी(ओआई) - 41/2024

विषय:—चीन जन.गण. से 4, 4 डायमिनो स्टिलबेन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड (डीएसडीए) के आयात के संबंध में
पाटनरोधी जांच - के संबंध में।

फा. सं. 6/44/2024-डीजीटीआर—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) को दीपक नाइट्राइट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से "4,4 डायमिनो स्टिलबीन 2, 2 डाइसल्फोनिक एसिड" या आमतौर पर डीएसडीए के रूप में जाना जाता है (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने की मांग की गई है।

ख. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 दिसंबर 2024 की अधिसूचना संख्या 6/44/2024 – डीजीटीआर के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसके माध्यम से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के हाने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जिसे अगर लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई थी।

क. प्रक्रिया

1. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

1.1 जांच की शुरुआत

- प्राधिकारी ने जांच शुरू करने की कार्यवाही करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- आवेदन की जांच करने पर प्राधिकारी को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले। इसलिए, नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/44/ 2024-डीजीटीआर दिनांक 27 दिसंबर 2024 के द्वारा, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू की।
- नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच शुरू करने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

1.2 आवेदन के अगोपनीय सार का परिचालन

- नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने लिखित में आवेदन की एक प्रति का अनुरोध किया था, उपलब्ध कराई।

1.3 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

- प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए संबद्ध देश में निर्यातकों को एक निर्यातक प्रश्नावली भेजी।
- भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों ने इन कार्यवाहियों में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में अपने आप को पंजीकृत किया है:

क्र.सं.	संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों का नाम
1	चाइना केम कंपनी लिमिटेड
2	सीआईडीआईसी कंपनी लिमिटेड
3	नानजिंग किरिन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
4	त्सेकर केमिकल (कांगझोउ) कंपनी लिमिटेड
5	लुओयांग हनयी केमिकल कंपनी लिमिटेड

- संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का प्रत्युत्तर दायर करके उत्तर दिया है:

क्र.सं.	संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक
1	त्सेकर केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड।
2	त्सेकर हुआयु केमिकल कंपनी लिमिटेड

1.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

- i. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी की मांग करते हुए आयातक प्रश्नावली भेजी:

क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता/आयातक
1	ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	एस्के डार्स्टफ्स ऑर्गेनिक्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	मेघमणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4	आक्रोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	अंजनी डाइज़ एंड इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	अनिल ऑर्गेनिक्स
7	पैरामाउंट मिनरल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
8	बीएसएफ इंडिया लिमिटेड
9	डैकाफिल केमिकल लिमिटेड

- ii. संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, केवल ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर दिया है।

1.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- i. जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 (15 महीने) तक मानी गई थी। क्षति की अवधि को वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि को शामिल करने के लिए निर्धारित किया गया था।

1.6 आगे की प्रक्रिया

- i. प्रणाली और डाटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) और डीजीसीआईएंडएस से क्षति की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के लिए अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम और डीजीसीआईएंडएस दोनों का उपयोग किया है।
- ii. प्राधिकारी ने भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावलियां भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों को उनके देश में जांच की शुरुआत की अधिसूचना और प्रश्नावली भेजे और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- iii. प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव और सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को भेजी गई थी। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय को भी भेजा गया था। हालांकि, आर्थिक हित प्रश्नावली घरेलू उद्योग और ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।
- iv. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने का निदेश दिया गया था।
- v. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो जांच शुरुआत की अधिसूचना के परिचालन के 15 दिनों के भीतर पीसीएन प्रस्तावित करने का अवसर दिया गया था। हालांकि, वर्तमान जांच में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने टिप्पणियां दायर नहीं कीं। प्राधिकारी ने दिनांक 30 जनवरी 2025 के नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया कि वर्तमान जांच में कोई पीसीएन नहीं था।
- vi. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 8 मई 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, अनुरोधों को साझा करने का निदेश दिया गया था।
- vii. निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तन के कारण, 8 जुलाई 2025 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। उसके बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदलाव को देखते हुए 10 दिसंबर 2025 को एक और मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी।

मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोधों, यदि कोई हों, को प्रस्तुत करें।

- viii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकटन विवरण दर्ज किए हैं।
- ix. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के बारे में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों, जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया, को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का अगोपनीय सारांश प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- x. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का उस सीमा तक सत्यापन किया, जिस सीमा तक उसे वर्तमान कार्यवाहियों के लिए आवश्यक माना गया।
- xi. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना यह पता लगाने के लिए की कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है।
- xii. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बना है, 26 फरवरी, 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उसके संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए 5 मार्च, 2026 तक समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण की टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में संगत और गैर-पुनरावृत्ति पाए जाने की सीमा तक माना गया है।
- xiii. प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम तक पहुंचने में, कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच उस सीमा तक की, जिस सीमा तक उनके साथ साक्ष्य संलग्न किए गए थे और वर्तमान उद्देश्य से उसे संगत माना गया था।
- xiv. इस अंतिम जांच परिणाम में, ""****"" इस नियमावली के अंतर्गत गोपनीय आधार पर पक्षकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी और प्राधिकारी द्वारा ऐसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- xv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.82 रु. है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 4, 4 डायमिनो स्टिलबीन 2, 2 डिसल्फोनिक एसिड (डीएसडीए) है। उत्पाद को 2, 2'- (1, 2-एथिलीनडाइल) वीआईएस (5-एमिनोबेंजीन सल्फरफोनिक एसिड), 4, 4'-डायमिनोस्टिलबीन- 2, 2'-डिसल्फोनिक एसिड और डीएसडी एसिड के रूप में भी जाना जाता है।

ख.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

3. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ख.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद 4,4-डायमिनो स्टिलबीन-2,2-डाइसल्फोनिक एसिड (डीएसडीए) है, जो मुख्य रूप से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंटों के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला रसायन है।
- ii. डीएसडीए एक हल्के पीले पाउडर/क्रीम है, जिसका उपयोग ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट आदि जैसे डार्क पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है।
- iii. उत्पाद का केवल एक ग्रेड है; हालाँकि, इसे उपभोक्ता आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग सांद्रता में आपूर्ति की जा सकती है, जैसे कि 95%, 98% या 100%।
- iv. आवेदक द्वारा निर्मित और संबद्ध देश से आयातित डास्टा तुलनीय और प्रतिस्थापनीय हैं।

- v. डास्डा को सीमा प्रशुल्क के अध्याय 29 के अंतर्गत "कार्बनिक रसायन" शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- vi. 2022 से पहले, उत्पाद को एचएस कोड 2921 59 90 के तहत आयात किया गया था। उत्पाद को अब विशिष्ट वर्गीकरण - एचएस कोड 2921 59 40 और 2921 59 90 दिया गया है। इसके बावजूद, उत्पाद का आयात अन्य एचएस कोड के तहत जारी है।
- vii. सभी संगत एचएस कोड शुल्क तालिका में सूचीबद्ध होने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा शुल्क प्राधिकारी पूरी तरह से वित्त मंत्रालय की अधिसूचना पर निर्भर करते हैं, जो शुल्क तालिका पर और न कि अंतिम जांच परिणामों में प्रदान किए गए व्यापक उत्पाद विवरण पर आधारित है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

5. जांच की शुरुआत के समय माना गया विचाराधीन उत्पाद का दायरा 4, 4 डायमिनो स्टिलबीन 2, 2 डिसल्फोनिक एसिड (डीएसडी) था। उत्पाद को 2, 2'- (1, 2-एथिलीनडाइल) वीस (5-एमिनोबेंजीन सल्फरफोनिक एसिड), 4, 4'-डायमिनोस्टिलबीन- 2, 2'-डाइसल्फोनिक एसिड और डीएसडी एसिड के रूप में भी जाना जाता है।
6. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की सूचना के परिचालन से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे या पीसीएन की आवश्यकता के संबंध में अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने न तो विचाराधीन उत्पाद के दायरे के बारे में और न ही पीसीएन की आवश्यकता के बारे में कोई टिप्पणी प्रस्तुत की। तदनुसार, दिनांक 30 जनवरी 2025 की सूचना के अनुसार, प्राधिकारी ने प्रत्युत्तर दायर करने के उद्देश्य से स्पष्ट किया कि उत्पाद का दायरा वही था जो जांच की शुरुआत में परिभाषित किया गया था और पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं थी।
7. नोटिस के बाद, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में टिप्पणियां दायर नहीं कीं।
8. इसलिए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि निम्नानुसार करता है: -

विचाराधीन उत्पाद 4, 4 डायमिनो स्टिलबीन 2, 2 डिसल्फोनिक एसिड (डीएसडी) है, जिसे 2, 2'- (1, 2-एथिलीनडाइल) वीस (5-एमिनोबेंजीन सल्फरफोनिक एसिड), 4, 4'-डायमिनोस्टिलबीन- 2, 2'-डिसल्फोनिक एसिड और डीएसडी एसिड के रूप में भी जाना जाता है।
9. उत्पाद एक हल्के पीले रंग का पाउडर/क्रीम है, जिसका उपयोग डाई पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है, जैसे ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट, आदि।
10. विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया निम्नानुसार है: -
 - i. चरण 1 - पिघले हुए पैरा नाइट्रोल्फ्टीन को पीएनटी के सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए ओलियम के साथ प्रतिक्रिया की जाती है, जिसे पानी में डुबोकर अलग किया जाता है।
 - ii. चरण 2 - उपरोक्त पीएनटी सल्फोनिक एसिड को सोडा ऐश का उपयोग करके इसके सोडियम नमक में बेअसर किया जाता है और फिर क्षार की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण किया जाता है। परिणामी द्रव्यमान को बेअसर कर दिया जाता है, और डाय नाइट्रो स्टिलबीन डाय सल्फोनिक एसिड को साल्टिंग द्वारा अलग किया जाता है।
 - iii. चरण 3 - डाय नाइट्रो स्टिलबीन डाय सल्फोनिक एसिड को आयरन पाउडर का उपयोग करते हुए बेचैम्प रिडक्शन प्रक्रिया के माध्यम से कम कर डाय एमिनो स्टिलबीन डाय सल्फोनिक एसिड बनाया जाता है। परिणामी द्रव्यमान को पतला एसिड के साथ अम्लीय बनाया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है और सुखाया जाता है। सूखा सामग्री मुक्त-प्रवाह क्रीम रंग का सूखा पाउडर है, जिसे प्रेषण के लिए पैक किया जाता है।
11. विचाराधीन उत्पाद एक रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। डास्डा को सीमा प्रशुल्क के अध्याय 29 के अंतर्गत "कार्बनिक रसायन" शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को उप-शीर्षक 2921 के तहत आयात किया जा रहा है। इस उत्पाद का एक विशिष्ट वर्गीकरण है - एचएस कोड 2921 59 40 है।
12. प्राधिकारी द्वारा प्राप्त डीजीसीआईएंडएस और लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर, यह देखा गया है कि उत्पाद को वर्गीकरण 2921 59 40 और 2921 42 90 के तहत भी आयात किया गया है। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क वर्गीकरण को केवल संकेतात्मक माना है और यह संबद्ध जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
13. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है, और इस जांच के लिए इसे अपनाया गया है।

14. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और उपयोगों, उत्पाद विविधिकरण, वितरण और विपणन और इन वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे गुणों के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, और उपभोक्ता उनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। प्राधिकरण यह मानता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तुएँ हैं।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

ग.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग दायरे और इसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- 4 अन्य घरेलू उत्पादकों की उपस्थिति के बावजूद, किसी ने भी चीन से आयात के कारण क्षति के दावे का समर्थन नहीं किया है, जो दर्शाता है कि कथित क्षति संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आवेदक के भीतर आंतरिक मुद्दों के कारण है।
- मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, एस्के डाईस्टफ एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड/ ओरिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्रणव केमिकल इंडस्ट्रीज और रामा पॉलीकॉन लिमिटेड अन्य उत्पादक हैं, और प्राधिकारी से इन उत्पादकों से क्षमता और उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है।
- घरेलू उद्योग के अनुरोध घरेलू उत्पादकों की पहचान, समर्थन और उत्पादन आंकड़ों के संबंध में असंगतता दिखाते हैं। जांच की शुरुआत में, केवल 4 उत्पादकों की पहचान की गई थी, जिनमें से किसी ने भी आवेदन का समर्थन नहीं किया था। सुनवाई के बाद, दो अतिरिक्त उत्पादकों की पहचान की गई, और यह पुष्टि की गई कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान डास्टा का उत्पादन नहीं किया था।
- 5 उत्पादकों से समर्थन अविश्वसनीय है, क्योंकि जांच की अवधि के दौरान कम से कम दो उत्पादक, उत्पादन नहीं कर रहे थे।
- अन्य उत्पादकों का उत्पादन मान्यताओं और आंकलनो के आधार पर है न कि सत्यापित आंकड़ों के आधार पर जो इस नियमावली के तहत अपेक्षित मानक को पूरा नहीं करता है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और इसके आधार के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- दीपक नाइट्राइट लिमिटेड द्वारा वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।
- प्रणव केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंचामृत केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, रामा पॉलीकॉन लिमिटेड, रोहन डाईकेम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ओरिक ऑर्गेनिक केमिकल्स ने जांच की प्रक्रिया के दौरान आवेदक का समर्थन किया है।
- भारतीय उद्योग में संगठित और एमएसएमई दोनों उत्पादक शामिल हैं।
- भारत में कुल उत्पादन [***] एमटी है, जिसमें से आवेदक का [***]% बड़ा हिस्सा है।
- रामा पॉलीकॉन लिमिटेड और रोहन डाईकेम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उत्पादन और बिक्री पर अपना विवरण प्रदान किया है और उपायों को लागू करने का समर्थन किया है।
- पंचामृत केमिकल्स और ओरिक ऑर्गेनिक केमिकल्स ने पुष्टि की है कि ये कंपनियां क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन नहीं कर रही थीं।
- प्रणव केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन का समर्थन किया है, लेकिन उत्पादन और घरेलू बिक्री के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की है। आवेदक ने समर्थकों की औसत क्षमता उपयोगिता पर विचार करते हुए उपलब्ध जानकारी और उत्पादन के अनुसार क्षमता पर विचार किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या

आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

18. वर्तमान आवेदन दीपक नाइट्राइट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
19. जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों और आवेदक ने निम्नलिखित उत्पादकों की पहचान की है।
- एश्वर्या केमिकल
 - एसके डायस्टफ एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 - मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 - ओरिक ऑर्गेनिक केमिकल्स
 - पंचामृत केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - प्रणव केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - राम पॉलीकॉन लिमिटेड
 - रोहन डार्केम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
20. स्थापित कार्यपद्धति के अनुसार, जांच शुरू होने के बाद सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को उनके विचार आमंत्रित करते हुए एक सूचना भेजी गई थी, कि क्या वे उपायों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। पहली मौखिक सुनवाई के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न अनुरोध यह कहते हुए किया था कि अन्य उत्पादक जांच में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके बाद, पहली मौखिक सुनवाई के बाद, इन अन्य उत्पादकों को उनकी टिप्पणियां मांगने के लिए एक और पत्र भेजा गया था। हालांकि, पहचाने गए उत्पादकों में से किसी ने भी प्राधिकारी को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
21. पहली मौखिक सुनवाई के बाद दायर लिखित अनुरोधों में, घरेलू उद्योग ने रामा पॉलीकॉन लिमिटेड और रोहन डार्केम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए एक समर्थन पत्र (आंकड़ों के साथ) प्रदान किया। घरेलू उद्योग ने पंचामृत केमिकल प्राइवेट लिमिटेड और प्रणव केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आंकड़ों के बिना) से एक समर्थन पत्र भी प्रदान किया। घरेलू उद्योग ने ओरिक ऑर्गेनिक केमिकल्स से भी पत्र प्रदान किया है, जिसमें इसके उत्पादन का विवरण शामिल है। उत्पादक ने न तो शुल्क का समर्थन किया है और न ही विरोध किया। रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि एस्के डायस्टफ एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से यह भी देखा गया है कि ओरिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, पंचामृत केमिकल्स और रोहन डार्केम एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जांच की अवधि में घरेलू उत्पाद का उत्पादन नहीं किया।
22. आवेदक, समर्थकों और अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और कुल भारतीय उत्पादन में उनके हिस्से को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	उत्पादन	यूओएम	2020-21	2021-22	202-23	पीओआई (वार्षिकीकृत)
1	आवेदक	एमटी	100	135	119	120
2	समर्थक	एमटी	100	90	76	82
3	अन्य उत्पादक	एमटी	100	90	56	60
4	कुल	एमटी	7,847	9,515	7,977	8,134
5	आवेदक का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	117	116
6	समर्थक का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	74	79
7	अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	55	58

23. यह देखा गया है कि आवेदक के पास कुल भारतीय उत्पादन में 75% से अधिक हिस्सेदारी है।
24. आवेदक ने प्रमाणित किया कि यह भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है और जांच की अवधि के दौरान उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है, और यह देखा गया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
25. प्राधिकारी यह मानता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत एक घरेलू उद्योग का गठन करता है तथा यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में पात्रता (स्टैंडिंग) के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता और विविध मुद्दे

घ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. गोपनीयता और विविध अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- आवेदक व्यापार उपचार जांच का आदतन उपयोगकर्ता है। पिछली निर्णायक समीक्षा में, किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई थी क्योंकि आवेदक के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ था।
 - आवेदक ने अन्य उत्पादकों द्वारा समेकित उत्पादन और बिक्री, भारत में मांग और इसकी क्षमता विस्तार के आंकड़ों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3क) (ii) का उल्लंघन करते हुए, जांच की 15 महीने की अवधि को अपनाया है। जांच की संबंधी अधिसूचना में मानक 12 महीने की जांच अवधि से विचलन के लिए कोई कारण या औचित्य नहीं है।
 - नियम 5 प्राधिकारी पर जांच की 15 महीने की अवधि पर विचार करने के लिए लिखित में कारण दर्ज करने का बाध्यकारी वैधानिक दायित्व डालता है। भारतीय संघ बनाम आनंद मोहन शरण व अन्य पर विश्वास किया गया है, जिसमें न्यायालय ने यह माना कि जब किसी कानून में "लिखित रूप में कारण दर्ज करने" की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कारण सार्थक, स्व-व्याख्यात्मक होने ही चाहिए और दिमाग के उचित अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना चाहिए।
 - जांच की 15 महीने की अवधि अपनाने के लिए आवेदक द्वारा दिए गए कारण कानूनी और तथ्यात्मक रूप से अप्रमाणित हैं। यह तर्क कि एक गैर-वित्तीय वर्ष लागत संबंधी कठिनाइयां पैदा करता है, एक वैध कानूनी आधार नहीं हो सकता है।
 - आवेदक और डीजीटीआर ने एक्सोटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट के फैसले का उल्लंघन करते हुए हितबद्ध पक्षकारों को आयात आंकड़ों को प्रकट नहीं किया, जो एक्सेल प्रारूप में लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. गोपनीयता और विविध अनुरोधों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- 15 महीने की जांच की अवधि अपनाने से हितबद्ध पक्षकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आयात कीमत, उत्पादन लागत, पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - जांच की अवधि का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने के पूर्व के चरण के दौरान उचित छान-बीन के बाद ही किया गया था।
 - घरेलू उद्योग व्यापार उपचार का आदतन उपयोगकर्ता नहीं है। इसके विपरीत, चीन के उत्पादक का पाटन का इतिहास है। पाटनरोधी शुल्क पांच साल की अवधि के लिए लगाए गए थे और केवल इस कारण से 2018 से आगे नहीं बढ़ाए गए थे क्योंकि आवेदक के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ था।
 - घरेलू उद्योग ने 2006 में उत्पादन शुरू किया, और लगभग दो दशकों में, पाटनरोधी शुल्क केवल एक बार लगाया गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार का एक आदतन उपयोगकर्ता नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना: “(1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

29. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की सीमा तक जांच की गई और तदनुसार इसे हल किया गया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, भंडार, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पहुंच कीमत, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ से संबंधित जानकारी, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी सूचनाओं पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां कहीं भी क्षति की अवधि के लिए जानकारी है, उसे अनुक्रमित आधार पर प्रदान किया गया है। जहां भी जानकारी एक वर्ष से संबंधित है, यदि ऐसा प्रकटीकरण जानकारी की गोपनीयता से समझौता नहीं करता है, तो उसे रेंज में प्रकट किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी जानकारी उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। इसके अलावा, कुछ मामलों में, हितबद्ध पक्षकार ने सार्वजनिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का खुलासा नहीं किया है क्योंकि इसे गोपनीय होने का दावा किया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज के गोपनीय होने का दावा किया है, यह नोट किया जाता है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और कारण दिए हैं कि क्यों सारांश किया जाना संभव नहीं है।
30. प्राधिकारी ने लगातार हितबद्ध पक्षकारों को सभी जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी और दस्तावेजों में गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी जानकारी गोपनीय मानी गई है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।
31. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार का एक आदतन प्रयोक्ता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व में पाटनरोधी शुल्क केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित एक जांच में लगाया गया था, और केवल तभी जब प्राधिकारी ने पाया कि उत्पाद को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया था और इससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी। प्राधिकारी ने एक मध्यावधि समीक्षा जांच भी की। जबकि यह मानते हुए कि इस बात के अपर्याप्त सबूत थे कि घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या बार-बार होने होने की संभावना नहीं थी, यदि पाटनरोधी शुल्क हटा दिया जाता है, तो प्राधिकारी ने स्थापित तथ्यों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन किया। पहले लगाया गया पाटनरोधी शुल्क 2019 में समाप्त हो गया था, और उसके बाद डास्टा पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा। इसलिए, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि घरेलू उद्योग व्यापार उपचार जांच का एक आदतन प्रयोक्ता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिशें केवल तभी की जाती हैं जब यह पाया जाता है कि उत्पाद पाटित की गई कीमतों पर आयात किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग 2 दशकों से उत्पादन करता रहा है, और प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क केवल एक बार लगाया गया था।
32. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि जांच की पंद्रह महीने की अवधि को अपनाता उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी जांच की मानक अवधि बारह महीने मानते हैं। नियमावली प्राधिकारी को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अपेक्षित होने पर छह महीने से कम नहीं और अठारह महीने से अधिक नहीं की जांच की अवधि अपनाने का अधिकार देते हैं।

33. यह नोट किया जाता है कि, कई पूर्व जांचों में, प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर, जांच की अवधि को बारह महीने से कम या अधिक अपनाया है। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि जुलाई 2024 से जून 2025 तक बारह महीने की अवधि अपनाने के परिणामस्वरूप लागत आंकड़ों की तैयारी और सत्यापन में पर्याप्त व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया था कि पंद्रह महीने की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और कीमतें उन कीमतों के बराबर थीं जो बारह महीने की अवधि में रही होतीं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आयात का प्रभाव त्रुटिपूर्ण नहीं था।
34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों की तथ्यात्मक सटीकता का न तो विरोध किया है और न ही ऐसे कारण दिए हैं कि क्यों जांच की अवधि के रूप में 15 महीने को मानना उपयुक्त नहीं है। प्राधिकारी ने यह पाया कि चयनित अवधि से संगत अवधि के दौरान आयात की तुलनीय मात्रा और मूल्य को देखते हुए विश्लेषण में कोई विच्छेद अथवा गलत सूचना प्रस्तुत किए बिना आंकड़ों को तैयार करना और उसका सत्यापन आसान हो गया। प्राधिकारी ने 12 महीने और 15 महीने की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस के लेन-देनवार आंकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और कीमत की तुलना की है जो नीची दी गई है:

क्र.सं.	अवधि	आयात मात्रा टन में*	आयात मूल्य लाख रु. में*	सीआईएफ/ कीमत (रु./एमटी)*
1	जुलाई 23 से जून 24	1,215	2,987	2,45,940
2	अप्रैल 23 से जून 24 (वार्षिकीकृत)	1,093	2,756	2,52,123

* उपरोक्त आंकड़े दशमलव में हैं और पूर्णांकित किए गए हैं।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि जांच की चयनित अवधि के स्थान पर 12 महीने की अवधि (जुलाई 2024 से जून 2025) पर विचार किया जाता है, तो भी मामले के अंतर्निहित तथ्यों में कोई तथ्यात्मक परिवर्तन नहीं होगा। आयात की मात्रा और कीमत बहुत तुलनीय हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कीमतों में परिवर्तन के बजाय, प्राधिकारी को मानक 12 महीने की अवधि के अलावा किसी अन्य अवधि का चयन करने के लिए उत्पादन लागत में भिन्नता की जांच करनी चाहिए। इसके उत्तर में, घरेलू उद्योग ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो दर्शाते हैं कि संगत अवधि के दौरान उत्पादन लागत में कोई बहुत अधिक भिन्नता नहीं हुई है।

क्र.सं.	अवधि	बिक्री मात्रा एमटी में	बिक्री लागत (लाख रु.)	लागत रु./एमटी
1	जुलाई 23 से जून 24	***	***	***
2	अप्रैल 23 से जून 24 (वार्षिकीकृत)	***	***	***

36. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि लागत लगभग स्थिर रही है। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि लागत कीमत स्थिर रही है, और इसलिए, वास्तविक स्थिति में कोई अधिक अंतर नहीं है। जांच की अवधि के चयन के कारण आंकड़े गलत नहीं हैं।
37. प्राधिकारी का यह भी मानना है कि लेखा वर्ष पर जांच की अवधि के हिस्से के रूप में विचार करना वांछनीय है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां इसके विचार से अन्यथा आंकड़ों को विकृत नहीं किया जाएगा। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की पंद्रह महीने की अवधि पर विचार करने से जांच के परिणाम या किसी भी हितबद्ध पक्षकारों के वास्तविक हितों पर कोई पूर्वाग्रह या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान मामले में जांच की पंद्रह महीने की अवधि को अपनाना उचित है।
38. आवेदक या डीजीटीआर द्वारा लेनदेन-वार आंकड़ों के प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के लिए निर्धारित संगत जानकारी आयात की मात्रा और मूल्य तथा सूचना का स्रोत है। नियमावली के तहत प्राधिकारी के लिए संगत जानकारी आयात की मात्रा और कीमत है। लेनदेन-वार आंकड़े आवेदक द्वारा किए गए दावे की पर्याप्तता और सटीकता से संबंधित सहायक सूचना की प्रकृति का सूचना ही बनाता है। इसी प्रकार, डीजीसीआईएंडएस से एकत्र की गई जानकारी केवल आयात की मात्रा और मूल्य को मापने के उद्देश्य से है, और इसे वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से प्रकट किया गया है। जांच और निर्धारण से संबंधित जानकारी पर हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिला है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई टिप्पणियां नहीं की गई हैं:

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- प्राधिकारी को उत्तर देने वाले उत्पादकों के लिए उनके अपने आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे एमईटी प्रभावली प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
- एमईटी प्रभावली को प्रस्तुत न किए जाने पर, उत्पादकों को एमईटी दर्जा नहीं दिया जा सकता है, और सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए उनके आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया ही जाना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

41. संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातक की प्रभावली का दायर किया गया है:

- त्स्कर हुआयु केमिकल कंपनी लिमिटेड
- टस्कर केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड

i. सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. डब्ल्यूटीओ में चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जांच के तहत उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा या एक ऐसी पद्धति जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

43. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) और अनुबंध-1 के पैरा 7 पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा ही जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में सदृश्य उत्पाद का उत्पादन करते हुए, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार से प्रेरित है, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।
44. यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान यद्यपि 11.12. 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
45. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:
- " 7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबद्ध पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।"*
46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो घरेलू उद्योग और न ही हितबद्ध पक्षकारों ने किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में घरेलू कीमत या संरचित मूल्य के संबंध में कोई जानकारी प्रदान की है। यह दावा किया गया है कि उत्पाद केवल चीन और भारत में निर्मित होता है। इसलिए, प्राधिकारी भारत सहित किसी अन्य देश में ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते थे।
47. प्राधिकारी समान वस्तु के लिए भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभों को जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।
- ii. निर्यात कीमत का निर्धारण**
- क. त्सकर हुआयु केमिकल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक), और इसका संबंधित व्यापारी त्सकर केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड
48. त्सकर हुआयु केमिकल कंपनी लिमिटेड ने त्सकर केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड नामक एक संबंधित निर्यातक/व्यापारी के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य के संबद्ध वस्तुओं की *** एमटी की बिक्री है। उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए आयात की मात्रा और मूल्य को डीजीसीआईएंडएस लेनदेन-वार आंकड़ों के साथ मिलान किया गया है। उत्पादक/निर्यातक ने एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों और बीमा के आधार पर समायोजन का दावा किया है।
49. प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई जानकारी का डेस्क सत्यापन किया। जहां तक आवश्यक समझा गया, अतिरिक्त/पूरक जानकारी मांगी गई थी। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
- ख. सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

50. चीन से अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। प्राधिकारी ने चीन से भाग लेने वाले उत्पादक के आंकड़ों पर विचार किया है और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

iii. पाटन मार्जिन

51. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	डॉ./एमटी	%	रेंज
1	त्साकर हुआयु केमिकल कंपनी लिमिटेड।	***	***	***	***	20-30
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	30-40

च. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदक ने प्राधिकारी के समक्ष अपनी उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान किसी भी अनुमोदित विस्तार के बिना, 31 जुलाई 2021 तक डीएसडीए का निर्माण प्रति वर्ष 2,550 एमटी तक सीमित था।
- 2018 में, आवेदक ने डीएसडीए क्षमता को 2,520 एमटी से 5,040 एमटी तक बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया, जिससे पता चला कि उस समय अनुमत क्षमता 2,520 एमटी पर बनी रही। 8 नवंबर 2021 की दौलत एनालिसिस की एक स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदक के संयंत्र में डीएसडीए की स्थापित क्षमता 5,040 एमटी है।
- समग्र मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच की अवधि में आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध देश से आयात में गिरावट आई।
- आवेदक और अन्य घरेलू उत्पादकों को मांग में वृद्धि से लाभ हुआ है। त्साकर द्वारा निर्यात बिक्री आवेदक की उत्पादन और बिक्री से काफी कम है।
- 2022-23 में, कच्चे माल की लागतों विशेष रूप से पीएनटी की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई थी, जो बाद में लगभग 74% तक काफी कम हो गई। अन्य कच्चे माल में भी इसी तरह की गिरावट दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल लागत में लगभग 38% की कमी आई। आवेदक ने अपनी बिक्री लागत में मामूली गिरावट की सूचना दी है।
- जांच की अवधि के दौरान हाल ही में हुई कीमत में गिरावट एक बाजार सुधार है, और अतीत की असामान्य कीमतों को उचित तुलना आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- उच्च घरेलू परिवहन व्यय के कारण आवेदक की लागत अधिक है।
- आवेदक ने डीएसडीए की आंतरिक खपत में भी 57% की वृद्धि की है और निर्यात बिक्री मुख्य रूप से आंतरिक खपत की ओर मोड़ के कारण कम हुई है।
- बिक्री में गिरावट डाउनस्ट्रीम उद्योगों की मांग में बदलाव के कारण है जो डीएसडीए से डीएसडीए में स्थानांतरित हो गया है।
- चीन जन.गण. से डीएसडीए का आयात, जो ऐतिहासिक रूप से 2,000-5,000 एमटी के बीच था, हाल के वर्षों में स्वाभाविक रूप से लगभग 1,200-1,500 एमटी तक कम हो गया है।
- पूर्व के वर्षों में उच्च आयात मात्रा घरेलू कमी से प्रेरित थी और इसे पाटन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वर्तमान में, आयात का स्तर न्यूनतम है और उपायों को लागू करने को उचित नहीं ठहराता है, खासकर जब पहुंच आयात कीमतें घरेलू बिक्री कीमतों से अधिक होती हैं।
- आवेदक के स्वयं के प्रमुख मात्रा संकेतक जैसे क्षमता, उत्पादन, बिक्री और रोजगार, सभी जांच की अवधि के दौरान बेहतर हुए हैं।

- xiii. मालसूची स्तर कम हो गया है, और आवेदक ने 88% बाजार हिस्सेदारी बनाए रखना जारी रखा है।
- xiv. यह क्षति पुरानी तकनीक और अनुसंधान एवं विकास की कमी के कारण हुई है, जो उत्पादकता और नवाचार को बाधित करती है, जिससे घरेलू उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।
- xv. हुई क्षति कम गुणवत्ता पर निर्भरता के कारण हुई है अथवा आयात की गई सामग्री की लागत में वृद्धि होती है और प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आती है तथा दूरस्थ कारखाना अवस्थिति के कारण परिवहन और उत्पादन की लागतों में वृद्धि होती है, जबकि प्रमुख बाजारों या बंदरगाहों से दूरी पहुंच को सीमित करती है और शिपिंग व्यय को बढ़ाती है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।
- xvi. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 1,437 टन डीएसडीए का आयात 3.041 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम (सीआईएफ) और 1,442 टन का निर्यात 2.98 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम (एफओबी) पर किया। इससे इस बात पर संदेह पैदा होता है कि उच्च कीमत वाले आयात घरेलू उत्पादकों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिन्होंने घरेलू कीमतों को ऊंचा रखा और कम दरों पर निर्यात किया, जिससे ओबीए (ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट) निर्माताओं को आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- xvii. इस अवधि में घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी छंटनी जांच की अवधि के बाद हुई थी, जो एक पाटनरोधी जांच में अप्रासंगिक है।
- xviii. जनवरी 2022 से जून 2024 तक, तीसरे पक्षकार के स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि भारत को तस्कर की निर्यात कीमतें मोटे तौर पर घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतों के अनुरूप थीं और अक्सर उससे अधिक थीं।
- xix. त्सेकर द्वारा क्षमता विस्तार के प्रस्तुत करने पर, त्सेकर की 20,000 एमटी क्षमता विस्तार कभी भी लागू नहीं किया गया था। टास्कर ने लिथियम बैटरी इलेक्ट्रोड सामग्री (50,000 टन/ वर्ष) के लिए नई परियोजना को लागू किया है।
- xx. यह डब्ल्यूटीओ कानून और डीजीटीआर कार्य-पद्धति के तहत एक अच्छी तरह से सुस्थापित सिद्धांत है कि संबद्ध उत्पादकों के साथ केवल अधिशेष क्षमता पाटन या उसके खतरे का साक्ष्य नहीं होता है।
- xxi. घरेलू उद्योग ने उत्पादन के निलंबन और छंटनी को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- xxii. संयंत्र की आयु या मूल्यहास की स्थिति की परवाह किए बिना, एनआईपी के निर्धारण के लिए 22% आरओसीई लागू करना डीजीटीआर की सुस्थापित कार्य-पद्धति है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

53. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदक चीन के त्सेकर समूह के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 55,000 एमटी है, जोकि चीन में मांग से काफी अधिक है, जो 30,000 से 33,000 एमटी के बीच में होने की उम्मीद है।
- ii. त्सेकर के साथ क्षमता चीन में मांग से दोगुनी और भारतीय मांग से 8 से 9 गुना अधिक है।
- iii. अमेरिकी सरकार ने चीन से आयातों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिससे अमेरिका को त्सेकर के निर्यात पर असर पड़ा है। नतीजतन, टास्कर वर्तमान में बहुत अधिक निष्क्रिय क्षमता के साथ काम कर रहा है।
- iv. 2020-21 की अवधि कोविड-19 से प्रभावित थी और 2021-22 में मांग में वृद्धि बाजार में अनिश्चितताओं के कारण हुई थी। जांच की अवधि में उत्पाद की मांग पिछले वर्ष और आधार वर्ष दोनों की तुलना में बढ़ गई।
- v. 2021-22 तक मांग और आपूर्ति के बीच अंतर था, लेकिन हाल के समय में अन्य उत्पादकों और आवेदक द्वारा क्षमता विस्तार हुआ है।
- vi. वर्ष 2021-22 में इस देश से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई और फिर वर्ष 2022-23 में इसमें गिरावट आई। जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध देश से आयात में 200% से अधिक की वृद्धि हुई।
- vii. कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बाजार में अनिश्चितताओं के कारण आयातकों द्वारा मालसूची के भंडारण के कारण 2021-22 में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, उस वर्ष के दौरान संबद्ध देश से आयात में तेजी से 74% की वृद्धि हुई।
- viii. भारतीय उत्पादन और भारतीय मांग के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है।

- ix. आयात कीमत में भारी गिरावट आई है। उत्पाद की आयात कीमत जनवरी 2022 में 9,208 \$/एमटी थी, लेकिन जांच की अवधि के अंत तक तेजी से घटकर 3,186 \$/एमटी हो गई। जांच की अवधि के बाद कीमत में 20% की और गिरावट आई है।
- x. टोलुईन की वैश्विक कीमत में केवल 12% की गिरावट आई है, लेकिन आयात की कीमत में 65% की गिरावट आई है।
- xi. हालांकि जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल की कीमत में 23% की गिरावट आई, लेकिन इसी अवधि के दौरान आयात कीमत में 65% की गिरावट आई। आयात कीमतों में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के समानुपाती नहीं है।
- xii. आवेदक ने जांच की अवधि के बाद एक उत्पादन लाइन को पहले ही निलंबित कर दिया है और 150 श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया है। यदि यही स्थिति बनी रहती है, तो आवेदक को पूर्ण बंदी के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे त्सकेर समूह भारतीय बाजार में प्रमुख कंपनी बन जाएगा।
- xiii. जांच की अवधि से पहले, पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से अधिक थी। हालांकि, जांच की अवधि में, पहुंच कीमत में गिरावट आई यह गिरकर आवेदक की बिक्री कीमत से नीचे चली गई।
- xiv. जांच की अवधि के दौरान, बिक्री की लागत में [***] प्रति एमटी तक गिरावट आई, लेकिन बिक्री कीमत में [***] प्रति एमटी तक गिरावट आई। इस प्रकार, आयात कीमतों पर काफी हद तक दबाव बना रहे हैं।
- xv. इन आयातों के कारण आवेदक की कीमतों में कटौती हुई है और उन पर दबाव पड़ा, जिसके कारण क्षति हुई है और उससे यह पता चलता है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।
- xvi. आवेदक की क्षमता 2022-23 तक स्थिर रही। हालांकि, बढ़ती माँग को देखते हुए, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता बढ़ा दी। मार्च में क्षमता में [***] एमटी प्रति माह की वृद्धि हुई।
- xvii. हितबद्ध पक्षकार द्वारा उद्धृत दस्तावेज क्षति की अवधि से पहले की अवधि की क्षमता से संबंधित हैं और इसलिए संगत नहीं हैं। आवेदक द्वारा क्षमता विस्तार केवल जांच की अवधि के दौरान हुआ, जिसका किसी भी पक्षकार ने विरोध नहीं किया है। जबकि दूसरे हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के दस्तावेजों के पूर्ण प्रकटीकरण की माँग की है, फिर भी इसने सुनवाई के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता को प्रकट नहीं किया।
- xviii. आवेदक का उत्पादन 2021-22 में बढ़ा लेकिन बाद की अवधि में घट गया। जांच की अवधि के दौरान क्षमता में वृद्धि के बावजूद, आवेदक के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- xix. घरेलू बिक्री में 2021-22 में गिरावट आई और उसके बाद की अवधि में वृद्धि हुई। संबद्ध आयात में वृद्धि के साथ, जांच की अवधि में आवेदक की घरेलू बिक्री में गिरावट आई।
- xx. उत्पादन निलंबन एक रणनीतिक निर्णय था जिसका उद्देश्य गिरती कीमतों और बढ़ते आयात दबाव के कारण अधिशेष सूची को कम करना था। आवेदक की मालसूची में 2021-22 में गिरावट आई, 2022-23 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में गिरावट आई।
- xxi. आयात के बाजार हिस्से में 2021-22 में वृद्धि हुई, 2022-23 में गिरावट आई लेकिन जांच की अवधि में फिर से वृद्धि हुई। आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- xxii. आवेदक का लाभ 2021-22 में बढ़ गया लेकिन 2022-23 में घट गया। आयात में तीव्र वृद्धि और आयात की कीमतों में गिरावट के साथ, जांच की अवधि में आवेदक का लाभ नुकसान में बदल गया।
- xxiii. नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में 2021-22 में वृद्धि हुई, 2022-23 में गिरावट आई और जांच की अवधि में नकारात्मक हो गई। निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक है।
- xxiv. आवेदक ने जांच की अवधि में मात्रा और कीमत मापदंडों के संदर्भ में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
- xxv. क्षतिरहित कीमत के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल पर विचार करना उचित नहीं है क्योंकि संयंत्रों के मूल्यों में हास होता है। मूल्यहास लागत स्वयं बहुत कम है।
- xxvi. इस अनुरोध पर कि परिवहन की उच्च लागत के कारण क्षति हुई है, परिवहन की लागत कुल इनपुट लागत का केवल [***] है और परिवहन लागत क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- xxvii. यह अनुरोध कि आवेदक की निर्यात कीमत आयात कीमत के तुलनीय है, भारतीय उत्पादक भारतीय बाजार में चीन से होने वाले आयातों से न केवल प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि निर्यात बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। चीन के उत्पादक, अधिशेष क्षमताओं और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों का सामना करते हुए, पाटित कीमतों पर उत्पाद का निर्यात करने में सक्षम हैं।

च.3

प्राधिकारी द्वारा जांच

54. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
55. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों को ध्यान में रखते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को वास्तव में निम्नानुसार हल किया गया है।
56. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन क्षमता के कथित गलत बयानी के संबंध में हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की है। हितबद्ध पक्षकारों ने एपीपीसीबी सहमति आदेश और दौलत एनालिसिस द्वारा स्वतंत्र रिपोर्ट जैसे कुछ दस्तावेजों पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है डीएएसडीए की अनुमत क्षमता 2,520-2,550 एमटी प्रति वर्ष थी और यह कि संगत अवधि के दौरान क्षमता में किसी विस्तार का अनुमोदन नहीं किया गया था।
57. घरेलू उद्योग ने अपनी दावा की गई क्षमता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2019 में 10,080 एमटी तक विस्तार के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी, और विस्तार के लिए बाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति फरवरी 2022 में प्राप्त हुई (यूनिट I और यूनिट III प्रत्येक के लिए 5040 एमटी), शर्तों के अधीन विस्तार की अनुमति दी गई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयंत्र की स्थापित क्षमता मार्च 2024 से बढ़ाकर 840 एमटी कर दी गई थी, जिससे एक नए बाँयलर और अन्य सहायक उपकरणों की स्थापना के बाद 10,080 एमटी की बढी हुई संचयी क्षमता दर्शाती है, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रबंधन प्रमाण- पत्र/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार क्षमता पर विचार किया है। इसलिए उत्पादन क्षमता में गलत बयानी या असंगतता का आरोप प्रमाणित नहीं होता है और इसे अस्वीकार किया जाता है।
58. इन टिप्पणियों के संबंध है कि कुशल श्रम की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी, बाजार की मांग, विनिमय दर में बदलाव आदि जैसे कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जैसा कि डब्ल्यूटीओ पैनल ने चीन - एक्स-रे उपकरण (डीएस425) से संबंधित अपनी रिपोर्ट में नोट किया है, जहां एक हितबद्ध पक्षकार ने क्षति पहुंचाने वाले पाटित आयातों के अलावा एक कारक की पहचान करता है लेकिन साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता है, यह दर्शाता है कि इस प्रकार इस कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, जांच करने वाले प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे उस कारक के संबंध में निर्धारण करें। वर्तमान मामले में, हितबद्ध पक्षकारों ने केवल सामान्य बयान दिए हैं। चूंकि क्षति की अवधि के दौरान रुपये के मूल्य में अमेरिकी डॉलर की तुलना में ह्रास हुआ है और घरेलू उद्योग के प्रचालन और लागत अमेरिकी डॉलर से सीधे तौर पर संबद्ध नहीं थे, यह दर्शाता है कि विनिमय दर में बदलाव के फलस्वरूप कम से कम घरेलू उद्योग की उच्चतर आयात कीमत और बेहतर कीमत होती।
59. प्राधिकारी ने आंतरिक अक्षमताओं के कारण उत्पादन की उच्चतर लागत के संबंध में, विशेष रूप से पीएनटी के लिए उच्च परिवहन लागतों के कारण, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रमाणित किया है कि पीएनटी डास्टा के उत्पादन के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड (डीएनएल) डीएएसडीए का निर्माण करने के लिए कैप्टिव रूप से पीएनटी का उपयोग करता है और अपने नान्देसरी संयंत्र में पीएनटी का उत्पादन करता है। पिछले महीने से पीएनटी की बाजार दर, वर्तमान महीने में अपेक्षित बाजार कीमत आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए प्रबंधन द्वारा मासिक आधार पर पर लेखा बहियों में अंतरण कीमत निर्धारित किया है। कैप्टिव खपत के अभाव में, घरेलू उद्योग को भी आयात या घरेलू खरीद के माध्यम से पीएनटी की खरीद करते समय अंतर्देशीय मालभाड़ा खर्च भी किया होता। इस प्रकार, प्रश्रुगत लागत कारक उत्पादन प्रक्रिया के लिए अंतर्निहित है और इसे क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।
60. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बाजार में पाटित आयातों के होने के कारण, उसे जांच की अवधि के दौरान [***] दिनों की पर्याप्त अवधि के लिए अपनी उत्पादन लाइनों में से एक पर उत्पादन स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जांच के बाद की अवधि में उत्पादन को आगे स्थगित कर दिया गया है। स्थल पर संयंत्र के सत्यापन के दौरान, प्राधिकारी ने इस दावे की विस्तार से जांच की। यह देखा गया कि घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन इकाइयों में समान वस्तु

का उत्पादन करता है और इन इकाइयों में से, यूनिट-3 पूरी तरह से बंद हो गई है। यह भी देखा गया कि इस इकाई से जुड़े पूरे कार्यबल की छंटनी कर दी गई थी। इसके समर्थन में, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि उसे कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए विवश होना पड़ा था। प्राधिकारी ने प्रदान किए गए दस्तावेजों की जांच की है और नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण उत्पन्न प्रतिकूल बाजार स्थितियों का सीधा परिणाम है।

61. घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि 2020-21 और 2021-22 की अवधि में प्रदर्शन कोविड 19 से प्रभावित हुआ था और इसलिए, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि में क्षति के प्रदर्शन की तुलना 2022-2023 के साथ की जाए। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोविड की स्थिति बनी रही। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के आकलन के लिए क्षति की अवधि निर्धारित करने का उद्देश्य पूरे चार वर्षों की पूरी अवधि के लिए घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर विचार करना है। इसलिए, निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार, प्राधिकारी ने आधार वर्ष से घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की तुलना की है। हालाँकि, क्षति विश्लेषण में इस बीच के समय के प्रदर्शन को उचित भारांक दिया गया है।
62. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि भारत में आयात कीमत भारत से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात कीमत के तुलनीय है, और जब घरेलू उद्योग ने उस कीमत पर निर्यात किया है, तो वह उसी कीमत पर आयात के कारण क्षति का दावा नहीं कर सकता है। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पाद केवल चीन और भारत में उत्पादित किया जा रहा है, यह अन्य बाजारों में भी चीन के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और इसलिए, इसको अन्य बाजार में भी क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग का यह भी दावा है कि उनके उपलब्ध रिकॉर्ड से निर्यात भी घाटे में है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए, निर्यात बाजार में प्रदर्शन संगत नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग वैश्विक बाजार में चीन के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि डीएनएसडीए से डीएनएसडीए की ओर परिवर्तन के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योगों से मांग में परिवर्तन हो सकता है। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ओबीए उत्पादक कच्चे माल के रूप में डीएनएसडीए का उपयोग नहीं कर सकते हैं और डीएनएसडीए को डीएनएसडीए में संसाधित करना होगा, जिसका उपयोग फिर ओबीए बनाने के लिए किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग और आयात की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। यदि डीएनएसडीए से डीएनएसडीए की मांग में परिवर्तन हुआ होता, तो मांग और आयात पर भी समान प्रभाव देखा जाता। इसलिए, यह तर्क कि मांग मांग में परिवर्तन हुआ है, सही नहीं है।

च.4.1 मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

64. प्राधिकारी ने भारत में इस उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य उत्पादकों द्वारा दिए गए समर्थन पत्रों के अनुसार बिक्री, अन्य उत्पादकों की अनुमानित बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में किया है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वार्षिकीकृत)
1	आवेदक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	130	117
2	समर्थक की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	70	96
3	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	52	71
4	चीन जन.गण. से आयात	एमटी	1,547	2,676	366	1,093
5	कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	75	91
6	कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	142	155
7	कैप्टिव सहित कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	93	108

65. यह देखा जा सकता है कि उत्पाद की मांग 2021-22 में बढ़ी लेकिन 2022-23 में घट गई। जांच की अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई। आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में उत्पाद (कैप्टिव सहित) की मांग में वृद्धि हुई है।
66. यह कहा गया है कि 2020-21 की अवधि कोविड से प्रभावित थी और 2021-22 में मांग में अचानक वृद्धि बाजार में उत्पन्न अनिश्चितता के कारण हुई थी। बाद की अवधि में मांग सामान्य हो गई और जांच की अवधि में बढ़ गई।

च.4.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजीएसआईएंडएस और आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। आयात के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वार्षिकीकृत)
1	चीन जन.गण. से आयात	एमटी	1,547	2,676	366	1,093
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
3	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	23	68
4	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	32	78

68. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा 2021-22 में बढ़ी, 2022-23 में काफी हद तक कम हुई और जांच की अवधि में फिर से बढ़ गई। जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयात पिछले वर्ष की तुलना में 200% से ज्यादा बढ़ गया है। विचाराधीन वस्तुओं का आयात क्षति अवधि के दौरान घट गया।
69. यह कहा गया है कि 2021-22 में आयात में बढ़ोतरी कोविड-19 लॉकडाउन से पैदा हुई बाजार की अनिश्चितताओं की वजह से भंडारण में वृद्धि के कारण हुई थी। जैसे-जैसे आयात बढ़ा, मांग भी बढ़ी और बाद के समय में घटी।
70. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात 2021-22 में बढ़ा, 2022-23 में घटा और फिर जांच की अवधि में फिर से बढ़ गया।
71. आधार वर्ष से तुलना करने पर, जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों में कमी आई है, लेकिन ठीक पिछले वर्ष से तुलना करने पर, आयातों में निरपेक्ष रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।
72. वैश्विक स्तर पर, भारत के अलावा, चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इस उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है, और क्षति की अवधि के दौरान कुल आयात में चीन जन.गण. से आयात का हिस्सा 100% था।

च.4.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

73. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है, अथवा क्या इस तरह के आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत का निर्धारण

74. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत और आयात कीमत की जांच की है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	कुल कच्चे माल की कुल लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	153	129
2	चीन जन.गण. से आयात की कीमत	रु./एमटी	3,12,049	4,02,588	4,02,030	2,52,123
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	129	81

75. यह नोट किया जाता है कि 2021-22 में कच्चे माल की लागत और आयात कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में कच्चे माल की लागत और आयात कीमत में और वृद्धि हुई। जाँच की अवधि में लागत और आयात कीमत में कमी आई है। हालांकि, आयात कीमत में गिरावट कच्चे माल की लागत से काफी अधिक थी। जब क्षति की अवधि में देखा जाए तो कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है, लेकिन आयात कीमत में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि आयात की कीमत कच्चे माल की लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी है। यह भी देखा गया है कि जाँच की अवधि में आयात कीमत में गिरावट के साथ, आयात की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है।

ख. कीमत कटौती

76. कीमत कटौती संबंधी विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश से आयात के पहुंच मूल्य से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती संबंधी प्रभाव इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	पीओआई
1	पहुंच कीमत	रु./एमटी	2,72,922
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***
3	कीमत कटौती	रु./एमटी	***
4	कीमत कटौती	%	***
5	कीमत कटौती	रेंज	0-10

77. यह देखा जाता है कि जाँच की अवधि में कीमत में कटौती मामूली रूप से सकारात्मक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद को नुकसान में बेचने के बावजूद आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

ग. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

78. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास रहे हैं या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या इस तरह के आयात का प्रभाव ऐसी कीमतों को अत्यधिक सीमा तक कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की जांच नीचे की गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	154	131
2	बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	145	145	100
3	पहुंच कीमत	रु./एमटी	3,37,793	4,35,802	4,35,197	2,72,922
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	129	81

79. यह देखा जाता है कि:

- क. 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में, बिक्री लागत में 30 सूचकांक की वृद्धि हुई, लेकिन बिक्री कीमत लगभग समान रहा। जबकि बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई, यह बिक्री लागत से अधिक बना रहा और घरेलू उद्योग उचित लाभ अर्जित करने में सक्षम था।
- ख. जाँच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई। जहां बिक्री लागत में 23 सूचकांक की गिरावट आई, वहीं बिक्री कीमत में 45 सूचकांक की गिरावट आई। बिक्री की लागत में गिरावट की तुलना में बिक्री कीमत में उच्चतर दर से गिरावट आई है।
- ग. 2022-23 तक, आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत अधिक थी। जाँच की अवधि में आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत से कम थी।
- घ. जब क्षति की अवधि से देखा जाए, तब बिक्री की लागत में 31 सूचकांक की वृद्धि हुई, बिक्री कीमत वही रही और पहुंच कीमत में 18 सूचकांक की गिरावट आई है।

80. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में परिवर्तन के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत रखने में सक्षम नहीं था। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है।

च.4.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

81. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

82. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (वार्षिकीकृत)
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	111
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	119	120
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	119	108
4	घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	130	117
5	निर्यात	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	57	59
6	कैप्टिव बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	142	155

83. ऊपर की तालिका से यह नोट किया जाता है:

- क. घरेलू उद्योग के पास की क्षमता 2022-23 तक स्थिर रही और जांच की अवधि में बढ़ी। घरेलू उद्योग ने मार्च 2024 में प्रति माह [* * *] तक अपनी क्षमता का विस्तार किया।
- ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन 2021-22 में बढ़ा लेकिन 2022-23 में इसमें गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई। घरेलू उद्योग के उत्पादन क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 2021-22 में बढ़ा लेकिन 2022-23 में इसमें गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई।
- घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 2021-22 में गिरावट आई, 2022-23 में वृद्धि हुई। हालाँकि, जैसे-जैसे जांच की अवधि में संबद्ध आयात में वृद्धि हुई, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में फिर से गिरावट आई।
- ड. घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग की कैप्टिव बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- छ. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में [***] दिनों के लिए अपनी उत्पादन लाइनों में से एक पर उत्पादन स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे लगभग *** एमटी के उत्पादन की हानि हुई।

ज. घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उत्पाद के अत्यधिक पाटन के कारण जांच की बाद की अवधि में उत्पादन लाइनों में से एक को बंद कर दिया गया है। घरेलू उद्योग ने संयंत्र बंद होने के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

ख. बाजार हिस्सा

84. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों और संबद्ध देश का बाजार हिस्से के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	174	129
2	समर्थक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	93	105
3	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	69	78
4	चीन से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	32	78

85. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में 2021-22 में गिरावट आई, 2022-23 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में गिरावट आई। क्षति की अवधि के दौरान समर्थकों की बाजार हिस्सेदारी स्थिर रही है। क्षति की अवधि के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

86. चीन की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में बढ़ी, 2022-23 में गिरावट आई और फिर जांच की अवधि में फिर से बढ़ी।

ग. मालसूची

87. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई वार्षिक
1	आरंभिक भंडार	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	80	65
2	अंतिम भंडार	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	254	208	129
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	110	81

88. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की अंतिम मालसूची 2021-22 में बढ़ी, 2022-23 में गिरावट आई और जांच की अवधि में और गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि के अंत में उत्पादन को आंशिक रूप से स्थगित कर दिया है और परिणामस्वरूप, मालसूची में गिरावट आई है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल

89. लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
1	प्रति इकाई लाभ/(हानि)	र./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	260	92	-79
2	लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	237	119	-92
3	प्रति इकाई नकद लाभ	र./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	245	96	-53
4	नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	223	126	-62
5	प्रति इकाई पीबीआईटी	र./एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	257	90	-78
6	पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	234	118	-91
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	194	74	-50

90. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग का लाभ 2021-22 में बढ़ा और 2022-23 में कम हुआ। आयात कीमत में तेज गिरावट के साथ, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है और यह गंभीर वित्तीय हानि में परिवर्तित हो गया है।

ख. नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ की भी वही प्रवृत्ति रही है जो लाभ की रही है। नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में 2021-22 में वृद्धि हुई और इसमें 2022-23 में गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ नकारात्मक हो गया है।

ग. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

91. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई वार्षिक
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	118	136
2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	118	119
3	प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	135	119	120
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	101	88

92. यह देखा जाता है कि:

- क. कर्मचारियों की संख्या और घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान की गई मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ख. 2021-22 में प्रति दिन उत्पादकता में वृद्धि हुई, 2022-23 में गिरावट आई और जांच की अवधि में समान स्तर पर बनी रही।
- ग. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पाद के अत्यधिक पाटन के कारण जांच के बाद की अवधि में उत्पादन लाइनों में से एक को बंद कर दिया गया है और घरेलू उद्योग को कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए मजबूर किया गया है।

च. वृद्धि

93. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	पीओआई
1	क्षमता	%	0%	0%	11%
2	उत्पादन	%	35%	-12%	0%
3	घरेलू बिक्री की मात्रा	%	-9%	43%	-10%
4	प्रति इकाई लाभ	%	160%	-65%	-186%
4	प्रति इकाई नकद लाभ	%	145%	-61%	-155%
5	प्रति इकाई पीबीआईटी	%	157%	-65%	-186%
6	आरओसीई	%	94%	-62%	-167%

94. यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयात के साथ, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, प्रति इकाई लाभ, प्रति इकाई पीबीआईटी, प्रति इकाई नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में घरेलू उद्योग की वृद्धि काफी नकारात्मक थी।

छ. पाटन मार्जिन का परिमाण

95. पाटन का परिमाण उस सीमा का संकेतक है जिस सीमा तक भारत में आयात पाटित किए जा रहे हैं। जाँच से पता चला है कि जाँच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

96. घरेलू उद्योग का प्रदर्शन मात्रा और कीमत दोनों आधारों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। जैसे-जैसे संबद्ध देश से आयात कीमत में गिरावट आई, घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि और निवेश पर कम प्रतिफल हुआ। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता बहुत अधिक हद तक प्रभावित हुई है।

झ. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक

97. डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों की जांच से पता चला कि संबद्ध देश से आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। संबद्ध देश से आयात की मात्रा में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में परिवर्तन के समानुपात में अपनी बिक्री कीमत परिवर्तित करने में सक्षम नहीं रहा है। संबद्ध देश से कम कीमत पर किए गए आयातों के कारण आयातों पर बहुत अधिक कीमत संबंधी प्रभाव पड़ा है। इस कारण से, संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं।

च.4.5 क्षति पर निष्कर्ष

98. उपर्युक्त के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:

- क. जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है।

- ख. यह देखा गया है कि कच्चे माल की लागत के अनुरूप आयात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्षति की अवधि में, विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्चे माल की लागत में *** रु. प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, लेकिन आयात कीमत में ***रु. प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है। जब तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कच्चे माल में रु. प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है, पहुंच कीमत में ***रु. प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है।
- ग. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- घ. जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में प्रति एमटी रु. *** की वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत में प्रति एमटी ***रु. की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।
- ड. पाटित किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।
- च. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।
- छ. क्षमता और मांग में वृद्धि के बावजूद जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।
- ज. संबंधित देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी में जाँच अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी जाँच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में घट गई है।
- झ. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय नुकसान, नकदी हानि और पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है। लाभ की स्थिति से [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन का नुकसान हुआ है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में सभी मानकों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
99. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है।
- छ. कारणात्मक संबंध और गैर-आपरोपण विश्लेषण**
100. प्राधिकारी को पाटित आयातों के अलावा अन्य किसी भी ज्ञात कारक की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। इस संबंध में संगत होने वाले कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात प्रदर्शन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। इसकी जांच नीचे की गई है कि क्या इस नियमावली के अन्तर्गत सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया होगा।
- क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत**
101. भारत में कुल आयातों में संबद्ध देश से आयात का हिस्सा 100% है। अन्य देशों से आयात के न होने पर, अन्य आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।
- ख. मांग में संकुचन**
102. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान वस्तुओ (कैप्टिव सहित) की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए मांग में कमी के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**
103. विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।
- घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां**
104. किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने किसी भी संभावित व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी। इसलिए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।
- ड. प्रौद्योगिकी का विकास**
105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में क्षति की अवधि में कोई परिवर्तन हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी के विकास से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

च. निर्यात प्रदर्शन

106. प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालन के लिए क्षति के आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। इसलिए, निर्यात प्रदर्शन घरेलू उद्योग के क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

107. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

108. प्राधिकारी द्वारा जांच किए गए उपरोक्त कारकों से पता चलता है कि क्षति किसी अन्य कारक के कारण नहीं होती है। निम्नलिखित जांच से यह पता चलता है कि क्षति विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण नहीं हुई है।

क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर होता है।

ख. संबद्ध देश से आयात की कीमतों में गिरावट कच्चे माल की लागतों में गिरावट की तुलना में अधिक दर से हुई है। आयात कीमत अब घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है।

ग. चूंकि पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम थी, इसलिए पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रहे थे।

घ. कम कीमत पर आयात और कीमत न्यूनीकरण के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल हुआ है।

ड. संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि में मांग में वृद्धि से अधिक बढ़ गया।

च. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है और पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों में वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री तथा क्षमता उपयोग ने भी जांच अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इसी प्रकार की प्रवृत्ति का अनुसरण किया।

ज. क्षति मार्जिन की परिमाण

109. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन लागत से संबंधित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की पहुंच कीमत के साथ की गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, कच्चे माल और यूटिलिटीयों के सर्वोत्तम उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय और/अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन लागत और/अथवा क्षतिरहित कीमत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात: औसत निवल अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व @22%) ब्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए नियमावली के अनुबंध- III में यथा-निर्धारित क्षतिरहित कीमत तय करने के लिए अनुमति दी गई है।

110. जैसा कि ऊपर में दिया गया है, पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत की तुलना भारत औसत आधार पर की गई है। प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन का भारत औसत नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	यूएसडॉ./एमटी	%	रेंज
1	त्सेकर हुआयू केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	5-15
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

111. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- चीन जन.गण. से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से ख्याती जैसे ओबीए निर्माताओं के डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए लागत में वृद्धि होगी, जिससे नौकरी की हानि और अपेक्षाकृत कम विकास होगा।

- ii. कागज, कपड़ा और डिटर्जेंट जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को भी उच्चतर इनपुट कीमतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।
- iii. यह देखते हुए कि डीएसडीए का उत्पादन केवल चीन और भारत में किया जाता है, अतिरिक्त शुल्क बाजार प्रतिस्पर्धा और दक्षता को कम कर देंगे। मौजूदा सीमा शुल्क और पिछले पाटनरोधी उपायों ने पहले से ही आवेदक को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया है, जिससे भारतीय व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त शुल्क अनावश्यक और क्षतिकारक हो गए हैं।
- iv. आवेदक ने लगातार ख्याती को निर्यात कीमतों से अधिक कीमतों पर डीएसडीए बेचा है, जिससे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में ख्याती को असुविधा हुई है। यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो अंतराल संभवतः और बढ़ जाएगा जिससे स्वतंत्र ओबीए उत्पादकों के लिए कार्य करना अव्यवहार्य हो जाएगा।
- v. एकीकृत उत्पादक डीएसडीए की आपूर्ति पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे ओबीए बाजार पर एकाधिकार करने के लिए कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान हो सकता है।
- vi. भारत में डीएसडीए के लगभग 5 उत्पादक हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 12,600 एमटी है। इसके विपरीत, घरेलू मांग लगभग 12,975 एमटी है, जो मांग-आपूर्ति के कड़े संतुलन का संकेत देती है।
- vii. अन्य एमएसएमई उत्पादकों में से किसी ने भी आवेदक का समर्थन नहीं किया है या स्वतंत्र आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे दावा की गई क्षति के संबंध में संदेह पैदा हुआ है। पहचान न किए गए एमएसएमई को कोई भी कथित क्षति अटकलबाजी और कानूनी रूप से असमर्थनीय है।
- viii. यह दावा कि ओबीए लाभप्रदता डीएसडीए की कीमतों से स्वतंत्र है, गलत है, क्योंकि घरेलू उद्योग जैसे एकीकृत उत्पादक आंतरिक अंतरण कीमतों का प्रबंधन कर सकते हैं, जबकि गैर-एकीकृत उत्पादक जैसे ख्याती डीएसडीए की कीमतों में उतार-चढ़ाव से सीधे प्रभावित होते हैं।
- ix. पिछले कुछ वर्षों में ख्याति की लाभप्रदता में गिरावट आई है। डीएसडीए की लागत में कोई भी वृद्धि लाभ में इस तरह की गिरावट को आगे बढ़ाएगी और डीएसडीए पर 10% पाटनरोधी शुल्क से सभी 3-4% लागत वृद्धि और अंतिम हानि हो सकती है।
- x. घरेलू उद्योग क्षमता का लगभग 40-50% कैप्टिव खपत के लिए और कुछ निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। घरेलू बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध डीएसडीए की वास्तविक मात्रा दावा की गई क्षमता से बहुत कमतर है।
- xi. ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ओबीए के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित लागत विवरण प्रदान किए हैं:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	राशि आईएनआर में
1	डीएसडीए की लागत	आएनआर	***
2	अन्य लागत	आएनआर	***
3	कुल लागत	आएनआर	***
4	डीएसडीए का हिस्सा	%	***
5	डीएसडीए का हिस्सा	रेंज	20-30%

- xii. इसके अलावा, ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तुत किया कि शुल्क ओबीए (ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट) की लागत को लगभग 5-8% तक बढ़ा सकता है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

112. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. भारतीय उद्योग में संगठित और एमएसएमई दोनों उत्पादक शामिल हैं।
- ii. मुख्य रूप से एकल उत्पाद कंपनियों होने के कारण, अन्य एमएसएमई उत्पादकों पर, कम कीमत पर किए गए आयातों का गंभीर रूप से प्रभाव पड़ा है। जबकि आवेदक ने एक उत्पादन लाइन को बंद कर दिया है, दूसरों के लिए स्थिति और भी बदतर है, जिससे उस कंपनी का बाजार में बने रहना और भी मुश्किल हो रहा है।

- iii. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग प्रमुख रूप से उपयोग ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट (ओबीए) के निर्माण में किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अंतिम उत्पाद पर नगण्य प्रभाव पड़ा होता।
- iv. ओबीए की लाभप्रदता 2021-22 में सबसे अधिक थी जब डीएसडी की कीमतें अधिक थीं। जाँच की अवधि में भी, जब जाँच की अवधि में डीएसडी की कीमत में गिरावट आई, तो भारत में ओबीए की कीमत में भी गिरावट आई। डीएसडी पर पाटनरोधी शुल्क का मतलब आवश्यक रूप से ओबीए लाभप्रदता में गिरावट नहीं होगा।
- v. इस उत्पाद पर पूर्व में डाउनस्ट्रीम ओबीए उद्योग पर बिना किसी ज्ञात प्रतिकूल प्रभाव के पाटनरोधी शुल्क लगाता रहा है। ओबीए उद्योग पास-श्रू मॉडल पर कार्य करता है, जहां लागत में वृद्धि अंतिम उपभोक्ता पर डाला जाता है।
- vi. ख्याती केमिकल्स की लाभप्रदता में 2022-23 तक लगातार वृद्धि हुई है, डीएसडी की कीमतों में गिरावट के बावजूद, 2023-24 में इसमें गिरावट आई। यह दर्शाता है कि डाउनस्ट्रीम ओबीए उद्योग ने, जब डीएसडी की कीमतें उच्चतम थी, तब सबसे अधिक लाभप्रदता प्राप्त की।
- vii. घरेलू आपूर्ति उपभोक्ताओं को कमतर मालसूची के स्तर बनाए रखने की अनुमति भी देता है, जिससे पूंजी की रक़ावट कम हो जाती है और आयातों पर निर्भरता की तुलना में आपूर्ति पर निर्भरता में सुधार होता है। चूंकि घरेलू उद्योग स्थानीय रूप से स्थापित हैं, अतः यह उपभोक्ता के हितों के और अधिक अनुरूप है।
- viii. भारत इस उत्पाद में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जिसकी घरेलू क्षमता लगभग 9,000 एमटी की कुल मांग की तुलना में 12,000 एमटी से अधिक है। मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयात में तेजी से वृद्धि हुई है।
- ix. बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा है क्योंकि भारत में समान वस्तु के 4-5 उत्पादक हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारतीय बाजार पर एकाधिकार नहीं होगा।
- x. लाभ और बाजार-परिवर्तन से प्रभावित विदेशी उत्पादकों के विपरीत, भारतीय उद्योग दीर्घकालिक उपभोक्ता हितों का समर्थन करता है और खरीदारों के लिए मालसूची लागत को कम करता है।
- xi. आवेदक ने समाज के प्रति योगदान पर वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इन पहलों से 8,50,000 लोग लाभान्वित हुए हैं।
- xii. डीएसडी में ओबीए उत्पादन लागत का केवल 25% शामिल है, और यहां तक कि 10% शुल्क के साथ भी, ओबीए लागतों पर समग्र प्रभाव डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता वस्तुओं पर 1% से कम के प्रभाव के साथ केवल 2.5% होगा।
- xiii. भारत में अधिशेष क्षमताएं हैं और इस कारण से, ख्याति केमिकल का यह दावा कि शुल्कों लगाए जाने से आपूर्ति में कमी और कीमत में वृद्धि होगी, निराधार है।
- xiv. घरेलू उद्योग ने 10% के शुल्क को मानते हुए पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव का एक मात्रात्मक चित्रण भी प्रदान किया है, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	संदर्भ	मूल्य
1	डीएसडी की बिक्री कीमत	र./कि.ग्रा.	ए	250.00
2	ओबीए (मानदंड) के लिए आवश्यक डीएसडी	कि.ग्रा./कि.ग्रा.	बी	0.40
3	ओबीए मूल्य में, डीएसडी हिस्सा	र./ कि.ग्रा.	सी=ए*बी	100.00
4	ओबीए की बिक्री कीमत	र./ कि.ग्रा.	डी	400.00
5	ओबीए की कुल कीमत में डीएसडी का %	%	ई=सी/डी	25.00%
6	पाटनरोधी शुल्क (उदाहरण के लिए)	%	एफ	10.00%
7	डीएसडी पर कीमत संबंधी प्रभाव	%	जी=ई*एफ	2.50%

- xiv. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में ख्याति केमिकल्स की लाभप्रदता पर जानकारी प्रदान की है। यह दावा किया गया है कि कंपनी का प्राथमिक संचालन डीएसडी का उपयोग करके ओबीए का उत्पादन है। नीचे दी गई तालिका क्षति की अवधि में ख्याति केमिकल्स के प्रचालन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	प्रचालन से राजस्व	लाख रु.	***	***	***	***
2	विक्री की लागत	लाख रु.	***	***	***	***
3	कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
4	आरएम से कारोबार तक	%	***	***	***	***
5	पीबीटी से कारोबार तक	%	***	***	***	***
6	आरओसीई	%	***	***	***	***
7	डास्टा कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

113. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातक और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और अभिलेख में दी गई जानकारी पर विचार करने पर आधारित है।
114. प्राधिकारी ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए। प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं के लिए वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव और उन कारकों के बारे में जानकारी मांगी, जो पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण नई स्थिति के समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना रखते हैं।
115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से, पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में समान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके।
116. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) परिचालित की थी। घरेलू उद्योग और ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। यह नोट किया जाता है कि ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव का कोई विस्तृत या मात्रात्मक विश्लेषण प्रदान नहीं किया है। इसके बजाय, इसने केवल एक सामान्य बयान दिया है कि शुल्क ओबीए की लागत में लगभग 5-8% की वृद्धि कर सकता है।
117. ख्याति केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त डेटा से यह स्पष्ट है कि डीएसडीए ओबीए (ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट) की कुल लागत का लगभग 25% हिस्सा है।
118. घरेलू उद्योग ने 10% के शुल्क को मानते हुए पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव का एक मात्रात्मक चित्रण भी प्रदान किया है।
119. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत मात्रात्मक चित्रण से पता चलता है कि यदि डीएसडीए पर 10% पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो ओबीए की कीमत पर समग्र प्रभाव केवल लगभग 2.5% होगा।
120. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में ख्याति केमिकल्स की लाभप्रदता पर जानकारी प्रदान की है। यह दावा किया गया है कि कंपनी का प्राथमिक संचालन डीएसडीए का उपयोग करके ओबीए का उत्पादन है।
121. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि ख्याति केमिकल्स का वित्तीय निष्पादन डीएसडीए की कीमतों से कोई सीधा संबंध नहीं दर्शाता है। जब डीएसडीए की कीमतें सबसे कम होती हैं तो लाभप्रदता में गिरावट आती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने पाया कि ओबीए उद्योग लागत में किसी भी सीमांत वृद्धि को डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों तक पहुंचाने में सक्षम है।
122. इस तर्क के संबंध में कि उपयोगकर्ता भारत में मांग और आपूर्ति अंतराल के कारण संबद्ध आयात पर भरोसा करते हैं। प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर कहा कि भारत में क्षमता देश की मांग से अधिक है। देश में मांग और आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं है। भले ही पाटनरोधी शुल्क से आयात की मात्रा उचित कीमतों पर आ जाए, लेकिन भारत में डाउनस्ट्रीम उद्योग आपूर्ति से वंचित नहीं होगा।
123. इस तर्क के संबंध में कि भारत में डीएसडीए उत्पादक भी ओबीए का निर्माण करते हैं और डीएसडीए पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डीएसडीए के ओबीए उत्पादक वंचित हो जाएंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में डीएसडीए की

अधिशेष क्षमता के साथ, यह दावा करने का कोई कारण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपयोगकर्ता उद्योग उचित कीमतों पर डीएएसडीए से वंचित हो जाएगा। पाटनरोधी उपाय लगाए जाने किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है।

ब. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

ब.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

124. प्रकटन विवरण पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:

- क. प्राधिकारी के जांच परिणाम घरेलू उद्योग द्वारा पहले की जांच अवधि के दौरान घोषित उत्पादन क्षमता में असंगति को संबोधित नहीं करते हैं। यह कहा गया था कि प्राधिकारी ने 2019 में दी गई पर्यावरण मंजूरी और 2022 और 2024 में बाद की मंजूरी पर भरोसा किया, जो बाद के विस्तार से संबंधित है और इसलिए पहले की जांच में घोषित क्षमता के आंकड़ों का मिलान नहीं करता है।
- ख. यह दावा कि यूनिट-3 के बंद होने और छंटनी का कारण आयात का पाटन होना था, साक्ष्यों से रहित है। बाजार की जानकारी से पता चलता है कि शटडाउन 2025 के अंत में, जांच की अवधि के अतिरिक्त हुआ था, और इसलिए इसे जांच की अवधि के दौरान आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ग. आयात कीमतों की तुलना घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतों से करने पर भारतीय बाजार में कोई कीमत विकृति नहीं दिखती है। यदि घरेलू उद्योग तुलनात्मक या कम कीमतों पर निर्यात करता है, तो समान कीमत वाले आयात को क्षतिकारक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वे वैश्विक बाजार की स्थितियों को दर्शाते हैं।
- घ. प्राधिकारी का विश्लेषण कीमत विकास के क्षति की अवधि के दौरान वास्तविक लेन-देन मूल्य निर्धारण व्यवहार को प्रतिबिंबित नहीं करता है। 2022 में त्स्कर से भारत को डीएएसडीए का निर्यात केवल कुछ अलग-अलग महीनों में हुआ था, और इसलिए कीम प्रवृत्ति को भारतीय बाजार में निरंतर कीमत निर्धारण व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ङ. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर 22% कर-पूर्व आय (आरओसीई) को समान रूप से अपनाया अत्यधिक है और पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक III के तहत अनिवार्य नहीं है, जिसमें केवल "उचित आय" की आवश्यकता होती है।
- च. जांच की 15 महीने की अवधि को अपनाया कानूनी रूप से अस्थिर नियम है, क्योंकि मानक 12 महीने के पीओआई से विचलित होने के लिए अनिवार्य शर्तें शुरू होने के समय पूरी नहीं की गई थीं।
- छ. प्रकटन विवरण में पोस्ट-फैक्टो तर्क स्वतंत्र जांच के बिना केवल आवेदक के तर्कों को पुनरुत्पादित करता है और मौलिक कानूनी दोष का उपचार नहीं कर सकता है। प्राधिकारी का यह अवलोकन कि विस्तारित अवधि में एक पूर्ण वित्तीय वर्ष शामिल है अप्रासंगिक है।
- ज. घरेलू उद्योग के प्राधिकारी और प्रमाणन मान्य नहीं हैं क्योंकि कंपनी कानून और एसोसिएशन के लेखों के तहत हस्ताक्षरकर्ता का अधिकार अस्पष्ट है।
- झ. चीन जन.गण. से डीएएसडीए के आयात में तेजी से गिरावट आई है, जो पीओआई के दौरान भारतीय मांग का लगभग 50% से घटकर केवल 10-12% रह गया है। पिछले डीजीटीआर जांच परिणामों ने कम आयात मात्रा और बाजार महत्व की पुष्टि की है, जिसमें कोई मूल्य प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहां तक कि आवेदक के डेटा से भी नकारात्मक कीमत कटौती दिखाई देती है।
- ञ. प्राधिकारी ने भारत में डीएएसडीए के लिए कड़ाई से संतुलित मांग-आपूर्ति की स्थिति की पर्याप्त जांच नहीं की है, जहां स्थापित क्षमता का अधिकांश हिस्सा कैप्टिव ओबीए उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है और कुछ निर्यात किया जाता है, जिससे व्यापारी बाजार 10-11% के सीमित आयात पर निर्भर रहता है।
- ट. घरेलू उत्पादकों के पहले से ही लगभग 90% मांग को पूरा करने और आयात के केवल एक छोटे संतुलन हिस्से के साथ, शुल्क क्षति को संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन डाउनस्ट्रीम उद्योग, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाएंगे।

ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ

125. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दायर की गई हैं:

- क. लेनदेन-वार डेटा महीनों, खरीदारों और क्षेत्रों में आयात की कीमतों में महत्वपूर्ण भिन्नता दर्शाता है। भारत और अंतरिक्ष की वास्तविक सीमा को छिपाता है, जैसा कि माननीय न्यायाधिकरण ने कोठारी शुगर्स एंड केमिकल्स

लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और होनेस्ट इंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में मान्यता दी थी।

- ख. कोई निश्चित नियम नहीं है जो यह परिभाषित करता है कि प्राधिकारी को क्षति के मार्जिन का निर्धारण कैसे करना चाहिए। जबकि प्राधिकारी ने ऐतिहासिक रूप से क्षति मार्जिन की गणना आयात के एनआईपी और पहुंच कीमत के बीच अंतर के रूप में की है। यह दृष्टिकोण सभी स्थितियों को संबोधित नहीं करता है, विशेष रूप से जहां आयात की कीमतें लेनदेन, क्षेत्र, ग्राहक या समय अवधि के अनुसार काफी भिन्न होती हैं।
- ग. कई आयात लेनदेन एनआईपी से ऊपर होते हैं और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, उद्योग की चिंता केवल एनआईपी से नीचे कीमत वाले आयात के साथ है। इसलिए, क्षति के मार्जिन को केवल एनआईपी से नीचे बेचे गए आयात पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- घ. क्षतिरहित कीमत के प्रयोजन के लिए, पैरा नाइट्रो टोलुईन (पीएनटी) का मूल्य डीएसडीए के एनआईपी के निर्धारण के लिए बाजार कीमतों पर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण पाटन के कारण पीएनटी की प्रचलित बाजार कीमतें कम हैं। एनआईपी के लिए इन पाटन किए गए बाजार मूल्यों का उपयोग कृत्रिम रूप से कीमत को कम कर देगा और क्षति को रोकने में विफल रहेगा।
- ङ. कच्चे माल की लागत में आनुपातिक कमी न होने के बावजूद, जांच की अवधि के बाद भी डीएसडीए की आयात कीमत लगातार गिरती रही है। परिणामस्वरूप, पीओआई अवधि के बाद पाटन और क्षति मार्जिन दोनों में काफी वृद्धि हुई है।
- च. चूंकि घरेलू उद्योग की मूल्यहास लागत और निवल स्थिर संपत्ति कम है, इसलिए एनआईपी उद्देश्यों के लिए 22% आरओसीई लागू करना अनुचित है और पाटन किए गए आयात के विरुद्ध पर्याप्त राहत प्रदान नहीं करता है। प्राधिकारी 2022-23 में अर्जित वास्तविक आरओसीई पर विचार कर सकता है, जो बिना पाटन के उचित प्रतिस्पर्धा की अवधि है।
- छ. चूंकि ओबीए पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव केवल 2.5% है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क से उपभोग्य अंतिम उत्पाद की कीमतों में कोई भौतिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है। उपभोग्य अंतिम उत्पादों पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव 1% से कम है।
- ज. घरेलू उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समाज में योगदान के लिए लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा की गई पहलों से 8,50,000 लोगों के जीवन को लाभ हुआ है।
- झ. भारत में एक ही तरह के लेख के 5 से अधिक निर्माता हैं। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार पर एकाधिकार नहीं होगा।
- ञ. डीएसडीए की आयात कीमत में क्षति की अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है, जनवरी 2022 में 9,208/एमटी से जांच की अवधि के अंत तक 3,186/एमटी तक पहुंच गई और पीओआई के बाद गिरती रही, मार्च 2025 में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। कच्चे माल की लागत में कोई आनुपातिक कमी नहीं होने के बावजूद यह गिरावट आई। यह अनुरोध किया जाता है कि पीओआई के दौरान आयात की पहुंच कीमत के आधार पर पाटनरोधी शुल्क का बेंचमार्क फॉर्म लगाया जाना चाहिए।
- ट. मानक शुल्क केवल क्षति रहित कीमत से नीचे की कीमत वाले आयात को लक्षित करेगा, जिससे क्षतिरहित स्तर से ऊपर के आयात के लिए कीमतें बढ़ाए बिना या डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्रभावित किए बिना उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

126. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन के बाद के अनुरोधों की जांच की है। यह देखा जाता है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में आवश्यक समझे जाने की सीमा तक संबोधित किया गया है। प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्दों को प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की प्रतिकृति थी, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
127. इस टिप्पणी पर कि क्षतिरहित कीमत की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% आय प्रदान नहीं की जानी चाहिए, प्राधिकारी का मानना है कि नियोजित पूंजी पर 22% आय पर विचार करना एक सुसंगत अभ्यास रहा है। प्राधिकारी नोट

करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य/ अनुरोध नहीं दिए गए हैं जो इस तथ्य और परिस्थितियों में पूंजी पर नियोजित 22% आय को सही ठहराते हैं कि प्राधिकारी के सुस्थापित अभ्यास को उचित ठहराया जा सकता है।

128. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पैरा नाइट्रो टोलुईन (पीएनटी), विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त प्रारंभिक कच्ची सामग्री, को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रचलित बाजार कीमतों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। पीएनटी के पाटन के कारण पीएनटी की प्रचलित बाजार कीमतें कम हैं और इसलिए क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले की जांच की गई और यह ध्यान दिया जाता है कि पाटनरोधी नियमों के अनुबंध में घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए रिकॉर्ड में परिलक्षित लागत के आधार पर उत्पादन की लागत की गणना की आवश्यकता होती है। चूंकि लेखा पुस्तकों में प्रतिबिंबित वास्तविक लागत वास्तविक लागत है, इसलिए क्षतिरहित कीमत की गणना के उद्देश्य से उसी पर विचार करना होगा। वर्तमान मामले में, लेखा पुस्तकों में दर्शाए गए लागतों पर विचार किया गया है।
129. इस बात के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद ओबीए जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है, यह नोट किया जाता है कि निवेश उचित संचालन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जांच से पता चला है कि तत्काल डाउनस्ट्रीम उद्योग लागत में वृद्धि को अपने आगे के डाउनस्ट्रीम उद्योग को दे सकता है और अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम पाया गया है। यह भी देखा गया है कि पिछले समय में डीएसडीए की कीमतें अधिक थीं और जांच की अवधि में ही इनमें गिरावट आई है। उपयोगकर्ता उद्योग ने यह दावा नहीं किया है कि पिछली उच्च कीमतों ने उनके संचालन को प्रभावित किया है। इसलिए यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
130. घरेलू उद्योग द्वारा बताई गई क्षमता पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए सभी दस्तावेज क्षति की अवधि से पहले की अवधि से संबंधित हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उद्धृत दस्तावेज केवल एक उत्पादन लाइन से संबंधित हैं, जबकि घरेलू उद्योग में एक से अधिक उत्पादन लाइनें हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज घरेलू उद्योग की कुल स्थापित क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जैसा कि पहले ही प्रकटीकरण विवरण में जांच की गई है, घरेलू उद्योग ने दावा की गई क्षमता के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य उसकी रिपोर्ट की गई क्षमता और जांच की अवधि के दौरान वृद्धि की शुद्धता को पर्याप्त रूप से स्थापित करते हैं।
131. मांग और आपूर्ति अंतर की स्थिति पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, यह देखा गया है कि रिकॉर्ड पर कोई भी जानकारी भारत में मांग और आपूर्ति अंतर नहीं दिखाती है। यह देखा गया है कि भारत में क्षमता पूरे भारत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
132. इस बात के संबंध में कि त्सकर से आयात कीमत, मौजूदा सीमा शुल्क 7.5% के भुगतान के बाद भी, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम नहीं है, यह नोट किया गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक पाई गई है। इसलिए, अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सकते।
133. घरेलू उद्योग ने बेंचमार्क शुल्क की मांग की है क्योंकि यह केवल उन आयातों को लक्षित करेगा जिनकी कीमत क्षतिरहित कीमत से कम है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और क्षतिरहित स्तर से ऊपर के आयात की कीमतों या डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मामले की जांच की गई, और मामले के वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप में बेंचमार्क/संदर्भ फॉर्म की सिफारिश की जाती है।

ट. निष्कर्ष

134. उद्धृत तर्कों, प्रदान की गई जानकारी और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और प्राधिकारी के समक्ष मौजूद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त जांच परिणामों में दर्ज किया गया है, और पाटन, क्षति और घरेलू उद्योग से कारणात्मक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 4,4-डायमिनो स्टिलबीन 2,2-डाइसल्फोनिक एसिड (डीएसडीए) है। उत्पाद को 2,2'-(1,2-इथाइलीनडाइल) बिस (5-एमिनोबेंजेनसल्फोनिक एसिड), 4,4'-डायमिनोस्टिलबीन-2,2'-डाइसल्फोनिक एसिड और डीएसडी एसिड के रूप में भी जाना जाता है।
- ख. उत्पाद को उप-शीर्षक 2921 के तहत आयात किया जा रहा है। उत्पाद का एचएस कोड 2921 59 40 के तहत एक समर्पित वर्गीकरण है। हालाँकि, उत्पाद को वर्गीकरण 2921 42 90 के तहत भी आयात किया गया है।
- ग. यह आवेदन दीपक नाइट्राइट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध वस्तुओं के आठ अन्य उत्पादक हैं।
- घ. इस आवेदन को अन्य निर्माताओं द्वारा समर्थन दिया गया है।

- ड. अन्य निर्माताओं ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है। घरेलू उद्योग कुल भारतीय उत्पादन का हिस्सा 75% से अधिक है।
- च. प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक नियमों के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में मानदंडों को पूरा करता है।
- छ. पाटन मार्जिन त्सकर हुआयु केमिकल कंपनी लिमिटेड और अन्य गैर-भागीदार निर्यातकों के लिए सकारात्मक है।
- ज. जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में तेजी से वृद्धि हुई है।
- झ. जबकि क्षति की अवधि में कच्चे माल की लागत बढ़ गई है, आयात कीमत में गिरावट आई है। यहां तक कि पिछले वर्ष की तुलना में भी, आयात कीमत और कच्चे माल की लागत दोनों में गिरावट आई है, लेकिन आयात मूल्य में गिरावट कहीं अधिक है।
- ञ. जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत क्षति अवधि के दौरान प्रति MT ₹*** बढ़ गई, उसी अवधि में विक्रय मूल्य प्रति MT ₹*** घट गया। घरेलू उद्योग अपने मूल्य को लागत में हुए बढ़ोतरी के अनुरूप बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा।
- ट. आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रही है।
- ठ. पाटित किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है।
- ड. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया। जबकि भारत में क्षमता और मांग बढ़ी, जाँच अवधि के दौरान घरेलू बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में घट गई।
- ढ. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय नुकसान, नकदी हानि और पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ा।
- ण. घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति, विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देश से पाटन के कारण हुई है।
- त. देश में मांग-आपूर्ति का कोई अंतर नहीं है और भारतीय उद्योग के पास पूरी घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- थ. पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है।
- द. डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच एक समान स्तर बनाए रखा जा रहा है।
- ध. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार नहीं बनेगा और यह व्यापक लोकहित के अनुरूप होगा।

ठ. सिफारिशें

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटन, क्षति और पाटनरोधी नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का दृष्टिकोण है कि पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
136. शुल्क के प्रकार के संबंध में, प्राधिकारी, मामले के वास्तविक तथ्यों और सभी संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की जांच करने के बाद, यह नोट करते हैं कि संदर्भ-कीमत/बेंचमार्क-आधारित शुल्क एक स्थिर मूल्य निर्धारण ढांचा प्रदान करता है, जिससे घरेलू उत्पादक और आयातक दोनों अधिक पूर्वानुमान के साथ संचालन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपचारात्मक उपाय आनुपातिक हो और डंपिंग/क्षति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक से अधिक आयात पर अनुचित प्रतिबंध न लगाए। सावधानीपूर्वक जांच के पश्चात् प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संदर्भ-कीमत आधारित शुल्क इस जांच के वास्तविक परिदृश्य में सबसे उपयुक्त शुल्क रूप है।
137. अनुसरण किए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए, जो पाटन मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कम के बराबर हो, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर किया

जा सके। मामले के तथ्यों और संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड की जानकारी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी बेंचमार्क प्रकार के शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

138. तदनुसार, कॉलम (7) में संबंधित प्रविष्टि में संदर्भ मूल्य के रूप में निर्दिष्ट राशि और संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य के बीच अंतर के बराबर की दर पर एक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है, बशर्ते कि पहुंच कीमत कॉलम (7) में इंगित राशि से कम हो। इस प्रयोजन के लिए आयात का अवतरित मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित क्रिया यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू सीमा शुल्क का स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	देश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2921 59 40 तथा 2921 42 90**	4,4-डायमिनो स्टिलबीन 2,2-डाइसल्फोनिक एसिड या 2,2'-(1,2- एथिलीनडाइल) बिस (5- एमिनोबेंजेनसल्फोनिक एसिड), 4,4'- डायमिनोस्टिलबीन-2,2'- डाइसल्फोनिक एसिड या डीएसडी एसिड।	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	त्सकर हुआयू कैमिकल कंपनी लि.	3,453	मी.ट.	यूएस \$
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	क्र.सं. 1 के अलावा अन्य कोई उत्पादक	3,453	मी.ट.	यूएस \$
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई उत्पादक	3,453	मी.ट.	यूएस \$

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

टिप्पणी:

उपरोक्त में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे बीजक जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित घोषणा अंकित हो, जिसे उसके नाम और कार्य द्वारा पहचाना जाएगा, जो इस प्रकार तैयार किया गया है: 'मैं, अधोहस्ताक्षरी, यह प्रमाणित करता हूँ कि इस बीजक द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए (उत्पाद की मात्रा) का निर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता हूँ कि इस बीजक में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी कंपनियों पर लागू शुल्क लागू होगा।

यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।

ड. आगे की प्रक्रिया

139. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम / नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Directorate General Of Trade Remedies)****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 16th March, 2026

(Case No. AD (OI) - 41/2024)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA) from China PR—*reg.*

F. No. 6/44/2024-DGTR .— Having regard to the provisions of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Rules”):

- a. The Designated Authority (hereinafter referred to as ‘Authority’) received an application filed on behalf of the domestic industry by Deepak Nitrite Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry”) seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “4,4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid” or commonly known as DASDA (hereinafter referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
- b. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/44/2024-DGTR dated 27th December 2024, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

1.1. Initiation

- i. In accordance with Rule 5(5), the Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation.
- ii. Upon examination of the application, the Authority found prima facie evidence of dumping and consequent injury. Therefore, in accordance with Rules 5 and 6, vide Notification F. No. 6/44/2024-DGTR dated 27th December 2024, the Authority initiated the present investigation.
- iii. In accordance with Rule 6(2), the Authority informed interested parties of the initiation of the investigation by sharing a copy of the initiation notification with the embassy of the subject country in India, known producers and exporters of the product under consideration in the subject country, known importers of the product under consideration in India and other interested parties, as per the information made available in the application.

1.2. Circulation of non-confidential version of the application

- i. In accordance with Rule 6(3), the Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the government of the subject country through their embassy in India, known exporters of the subject imports and to other interested parties who requested in writing a copy of the application.

1.3. Participation by Exporters of Subject Country

- i. The Authority sent an Exporter’s Questionnaire to exporters in subject country to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- ii. The embassy of the subject country in India was requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- iii. The following known producers and exporters have registered themselves as interested parties in these proceedings:

SN	Name of producers/exporters in the subject country
1	China Chem Company Limited
2	CIDIC Company Limited
3	Nanjing Kirin International Trade Company Limited
4	Tsaker Chemical (Cangzhou) Company Limited
5	Luoyang Hanyi Chemical Company Limited

- iv. In response to the initiation of the subject investigation notification, the following producers/exporters from the subject country have responded by filing a questionnaire response:

SN	Producers/exporters of the product under consideration in the subject country.
1	Tsaker Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
2	Tsaker Huayu Chemical Company Limited

1.4. Participation by Importers/Users

- i. The Authority sent the importer's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

SN	Users/importers of the product under consideration in India.
1	Khyati Chemicals Private Limited
2	Eskay Dyestuffs Organics Chemicals Private Limited
3	Meghmani Industries Limited
4	Archroma India Private Limited
5	Anjani Dyes and Intermediates Private Limited
6	Anil Organics
7	Paramount Minerals and Chemicals Limited
8	BASF India Limited
9	Daikaffil Chemical Limited

- ii. In response to the initiation of the subject investigation notification, only Khyati Chemicals Private Limited has responded.

1.5. Period of Investigation and Injury Period

- i. The period of investigation (POI) was considered as 1st April 2023 to 30th June 2024 (15 months). The injury period was set to cover the years 2020-21, 2021-22, 2022-23 and the period of investigation.

1.6. Further procedures

- i. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) and DGCI&S for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The authority has used both DG System and DGCI&S for analysis.
- ii. The Authority sent questionnaires to the government of the subject country through their embassy in India. The government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers of the subject goods in their country and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit
- iii. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and the impact of the duties on the wider economy. A copy of the EIQ was sent to the embassy of the subject country, all the known exporters, importers and users and the domestic industry. The EIQ was also sent to the administrative line ministry. However, the economic interest questionnaire was filed by the domestic industry and Khyati Chemicals Private Limited.
- iv. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the website. All registered interested parties were directed to circulate the non-confidential version of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties

- v. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs, if required, within 15 days of the circulation of the initiation notification. However, none of the interested parties filed comments in the present investigation. The Authority vide notice dated 30th January 2025 clarified that there was no PCN in the present investigation.
- vi. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 8th May 2025. The parties presenting their views in the oral hearing were directed to share written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- vii. Due to the change of the Designated Authority, a fresh oral hearing was held on 8th July 2025, wherein all interested parties were provided the opportunity to present their views. Thereafter, a subsequent oral hearing was held on 10th December 2025 in view of the change of the Designated Authority. The parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any.
- viii. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the course of the present proceedings, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the disclosure on the basis of the facts available.
- ix. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on a confidential basis was examined by the Authority about the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a non-confidential summary of the information filed on a confidential basis.
- x. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry and other interested parties to the extent considered necessary for the present proceedings.
- xi. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce & sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
- xii. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 26th February, 2026 and the interested parties were allowed time up to 5th March, 2026 to file comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and nonrepetitive, in these final findings.
- xiii. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the interested parties during the course of the proceedings, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making the final findings.
- xiv. In this final finding, “****” represents information furnished by a party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules
- xv. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$= Rs. 83.82.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

2. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“3. The product under consideration in the present investigation is 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA). The product is also known as 2, 2’- (1, 2-Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid), 4, 4’-Diaminostilbene- 2, 2’-Disulfonic Acid and DSD Acid.

B.1 Submission made by the interested parties.

3. No submissions made by the other interested parties with regard to the scope of the product under consideration and like article.

B.2 Submission made by the domestic industry.

4. The domestic industry has made the following submissions with respect to the product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration is 4,4-Diamino Stilbene-2,2-Disulphonic Acid (DASDA), a chemical primarily used in the production of optical brightening agents.
 - ii. DASDA is a light-yellow powder/cream, used in the synthesis of dye stuffs such as optical brightening agents, fluorescent brightening agents, etc.
 - iii. The product has only one grade; however, it may be supplied in different concentrations, such as 95%, 98%, or 100%, depending on consumer requirements.
 - iv. DASDA produced by the applicant and that is imported from the subject country are comparable and substitutable.
 - v. DASDA is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff, under the heading “Organic Chemicals.”
 - vi. Before 2022, the product was imported under HS code 2921 59 90. The product has now been assigned dedicated classification - HS codes 2921 59 40 and 2921 59 90. Despite that, the product continues to be imported under other HS codes.
 - vii. All relevant HS codes should be listed in the duty table. This is crucial because Customs Authorities rely solely on the Ministry of Finance’s notification, which is based on the duty table and not on the broader product description provided in the final findings.

B.3 Examination by the Authority

5. The scope of the product under consideration considered at the time of initiation was 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA). The product is also known as 2, 2'- (1, 2-Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid), 4, 4'-Diaminostilbene- 2, 2'-Disulfonic Acid and DSD Acid.
6. The Authority provided an opportunity to all interested parties to submit their comments, if any, with respect to the scope of the product under consideration or the need for PCNs within 15 days from the circulation of the intimation of initiation of the investigation. None of the interested parties furnished any comments, either regarding the scope of the product under consideration or the requirement for PCNs. Accordingly, vide notice dated 30th January 2025, the Authority, for the purpose of filing of response, clarified that the scope of the product was same as defined in the initiation and that there was no requirement of PCN.
7. Subsequent to the notice, none of the interested parties filed comments on the scope of the product under consideration.
8. Therefore, the Authority confirms the scope of the product under consideration as below: -

The product under consideration is 4, 4 Diamino Stilbene 2, 2 Disulphonic Acid (DASDA), also known as 2, 2'- (1, 2-Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid), 4, 4'-Diaminostilbene- 2, 2'-Disulfonic Acid and DSD Acid.
9. The product is a light-yellow colour powder/cream, which is used in synthesis of dye stuffs, like optical brightening agents, fluorescent brightening agents, etc.
10. The manufacturing process of the product under consideration is as below: -
 - i. Step 1 - Molten Para Nitro Toluene is reacted with Oleum to form Sulfonic Acid of PNT, which is separated by drowning in water.
 - ii. Step 2 – The above PNT Sulfonic Acid is neutralized to its Sodium Salt by using Soda Ash and then oxidized with oxygen in the presence of Alkali. The resultant mass is neutralized, and Di Nitro Stilbene Di Sulfonic Acid is separated by salting.
 - iii. Step 3 – Di Nitro Stilbene Di Sulfonic Acid is reduced to Di Amino Stilbene Di Sulfonic Acid through the Bechamp reduction process using iron powder. The resultant mass is acidified with Dilute Acid, filtered and dried. The dried material is free-flowing creamish coloured dry powder, which is packed for dispatch.
11. The product under consideration is a chemical used mainly to make optical brightening agents. DASDA is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff, under the heading “Organic Chemicals”. The product is being imported under sub-heading 2921. The product has a dedicated classification - HS code 2921 59 40.

12. Based on the DGCI&S transaction-wise import data obtained by the Authority, it is seen that the product has been imported under the classification 2921 59 40 and 2921 42 90 as well. The Authority has considered the customs classification as indicative only and not binding on the scope of the subject investigation.
13. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is metric tons (MT), and the same has been adopted for this investigation.
14. The product under consideration, produced by the domestic industry and imported from the subject country, is comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers can use them interchangeably. The Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like articles to the product under consideration imported from the subject country.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

C.1 Submission made by the interested parties

15. The other interested parties have submitted as follows with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - i. Despite the presence of 4 other domestic producers, none have supported the claim of injury from Chinese imports, which shows that the alleged injury is not attributable to subject imports but rather to internal issues within the applicant.
 - ii. Meghmani Organics Ltd, Esskay Dyestuff & Industries Pvt Ltd./Oric Organic Chemicals, Pranav Chemical Industries and Rama Polycon Limited are the other producers, and the Authority is requested to seek information from these producers about capacities and production.
 - iii. Domestic Industry's submissions show inconsistencies regarding the identification, support, and production data of domestic producers. At initiation, only 4 producers were identified, none of whom supported the application. Subsequent to the hearing, two additional producers were identified, and it was confirmed that they did not produce DASDA during the period of investigation.
 - iv. The support from 5 producers is unreliable, as at least two were not producing during the period of investigation.
 - v. The production data of other producers is based on assumptions and estimates, not verified figures, which fail to meet the standard required under the Rules.

C.2 Submission made by the domestic industry.

16. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - i. The present application has been filed by Deepak Nitrite Limited.
 - ii. Pranav Chemicals India Private Limited, Panchamrut Chemicals Private Limited, Rama Polycon Limited, Rohan Dyechem and Industries Limited and Oric Organic Chemicals have supported the applicant during the course of the investigations.
 - iii. The Indian industry comprises both organised and MSME producers.
 - iv. The total production in India is [***] MT, out of which the applicant accounts for a major share of [***] %.
 - v. Rama Polycon Limited and Rohan Dyechem and Industries Limited have provided their details on production and sales and have supported the imposition of measures.
 - vi. Panchamrut Chemicals and Oric Organic Chemicals have confirmed that the companies were not producing during the injury period.
 - vii. Pranav Chemicals India Private Limited has supported the application, but not provided information on production and domestic sales. The applicant has considered the capacity as per the information available and the production, considering the average capacity utilisation of the supporters.

C.3 Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article

constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be constructed as referring to the rest of the producers."

18. The present application has been filed by Deepak Nitrite Limited.
19. The other interested parties and the applicant have identified the following producers during the course of the investigation.
- i. Ashwarya Chemical
 - ii. Esskay Dyestuff & Industries Private Limited
 - iii. Meghmani Organics Limited
 - iv. Oric Organic Chemicals
 - v. Panchamrut Chemicals Private Limited
 - vi. Pranav Chemicals India Private Limited
 - vii. Rama Polycon Limited
 - viii. Rohan Dyechem and Industries Limited
20. As per established practice, an intimation was sent to all known producers and exporters after initiation of the investigation inviting their views, whether they support or oppose the measures. During the first oral hearing, interested parties had made various submission stating that the other producers are not participating in the investigation. Subsequently, following the first oral hearing, a further communication was sent to these other producers seeking their comments. However, none of the identified producers has submitted any response to the Authority.
21. In the written submissions filed post the 1st oral hearing, the domestic industry provided a support letter (along with data) for Rama Polycon Limited and Rohan Dyechem and Industries Limited. The domestic industry also provided a support letter from Panchamrut Chemical Private Limited and Pranav Chemicals India Private Limited (without data). The domestic industry has also provided communication from Oric Organic Chemicals, which contains details of its production. The producer has neither supported nor opposed the duty. Based on the information on record, the Authority notes that Esskay Dyestuff & Industries Private Limited and Meghmani Organics Limited imported the product under consideration in substantial quantities during the period of investigation. It is also seen from the information on record that Oric Organic Chemicals, Panchamrut Chemicals and Rohan Dyechem and Industries Limited did not produce the domestic like product in the period of investigation.
22. The table below shows the production of the applicant, the supporters and the other Indian producers and their share in total Indian production.

SN	Production	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI (A)
1	Applicant	MT	100	135	119	120
2	Supporter	MT	100	90	76	82
3	Other producers	MT	100	90	56	60
4	Total	MT	7,847	9,515	7,977	8,134
5	Share of applicant	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	117	116
6	Share of supporter	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	75	74	79
7	Share of other producers	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	75	55	58

23. It is seen that the applicant has more than 75% share in the total Indian production.

24. The applicant certified that it is not related to any importer in India or producers/exporters of the product under consideration in the subject country and has not imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation. The Authority has examined the DG System transaction-wise data, and it is seen that the applicant has not imported the product under consideration.
25. The Authority holds that the applicant constitutes a domestic industry under Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. CONFIDENTIALITY AND MISCELLANEOUS ISSUES.

D.1 Submissions made by the interested parties.

26. The other interested parties have submitted as follows with regard to confidentiality and miscellaneous submissions:
- i. The applicant is a habitual user of trade remedy investigations. In the previous sunset review, no duty was recommended as the performance of the applicant had improved.
 - ii. The applicant has claimed excessive confidentiality on the consolidated production and sales by other producers, demand in India and data on its capacity expansion.
 - iii. The Authority has adopted a 15-month period of investigation in violation of Rule 5(3A)(ii) of the ADD Rules. The initiation notification contains no reason or justification for deviation from the standard 12-month period of investigation.
 - iv. Rule 5 imposes a binding statutory obligation on the Authority to record reasons in writing for considering a 15-month period of investigation. Reliance is placed on *Union of India v. Anand Mohan Sharan & Anr.*, wherein the Court held that when a statute requires “reasons to be recorded in writing,” such reasons must be meaningful, self-explanatory, and demonstrate proper application of mind.
 - v. The reasons provided by the applicant for adopting a 15-month period of investigation are legally and factually unsubstantiated. The contention that a non-financial year poses costing difficulties does not constitute a valid legal ground.
 - vi. The applicant and DGTR failed to disclose import data to the interested parties, in violation of the CESTAT ruling in *Exotic Décor Pvt. Ltd. v. DA*, which mandates disclosure of transaction-wise import data in Excel format.

D.2 Submissions made by the domestic industry.

27. The domestic industry has submitted as follows with regard to confidentiality and miscellaneous submission:
- i. The adoption of a 15-month period of investigation has not caused any prejudice to the interested parties, as there has been no significant change in import price, cost of production, dumping margin, or injury margin.
 - ii. The period of investigation was determined by the Authority only after proper scrutiny during the pre-initiation stage.
 - iii. The domestic industry is not a habitual user of trade remedies. On the contrary, the Chinese producer has a history of dumping. Anti-dumping duties were imposed for a period of five years and not extended beyond 2018, only because the applicant’s performance had improved.
 - iv. The domestic industry commenced production in 2006, and in nearly two decades, anti-dumping duties were imposed only once. This clearly demonstrates that the domestic industry is not a habitual user of trade remedies.

D.3 Examination by the Authority.

28. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7)) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sab-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.”

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

29. The submissions made by the domestic industry and the participating exporters concerning confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. It is seen that the domestic industry and interested parties have claimed confidentiality on information, such as production, capacity, capacity utilization, sales volumes, market share, stocks, selling price, costs, profits, cash profits, return on investment, non-injurious price, cost of production related information, normal value, export price, dumping margin, landed price, injury margin, price adjustments, profit related information, sales channels, sales & purchase documents, customers and suppliers names, etc. It is also seen that wherever information is for injury period, the same has been provided on an indexed basis. Wherever information pertains to a single year, the same has been disclosed in range, if such disclosure does not compromise the confidentiality of information. The interested parties have claimed confidentiality on various supporting documents & information, wherever such information has not been publicly disclosed by them. Further, in some cases, an interested party has not publicly disclosed its annual reports and financial statements as the same has been claimed confidential. Wherever the interested parties have claimed a document as confidential, it is noted that these interested parties have claimed that these documents are not susceptible to summary and have given reasons why summarisation is not possible.
30. The Authority has consistently allowed interested parties to claim confidentiality in such information and documents provided by domestic industries, foreign producers and other interested parties in all investigations. The Authority notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.
31. Interested parties have claimed that the domestic industry is a habitual user of trade remedies. The Authority notes that anti-dumping duty in the past has been imposed only in one investigation related to the product under consideration, and only after the Authority found that the product had been exported at dumped prices and the same had caused injury to the domestic industry. The Authority even undertook a mid-term review investigation. While holding that there was insufficient evidence that injury to the domestic industry was not likely to continue or recur, if the anti-dumping duty is removed, the Authority modified the quantum of anti-dumping duty on the basis of facts established. The anti-dumping duty earlier imposed ceased in 2019, and thereafter there was no anti-dumping duty on DASDA. Therefore, the contention that the domestic industry is a habitual user of trade remedy investigations cannot be accepted. The recommendations for the imposition of anti-dumping duty are made only after it is found that the product has been imported at dumped prices, which have caused material injury to the domestic industry. The domestic industry has been in production for 2 decades, and the Authority notes that anti-dumping duties were imposed only once.
32. Interested parties have claimed that the adoption of a fifteen-month period of investigation is not appropriate. The Authority notes that, in accordance with the provisions of the anti-dumping rules, the Authority considers a period of twelve months as the standard period of investigation. The Rules empower the Authority, for reasons to be recorded in writing, to adopt a period of investigation of not less than six months and not exceeding eighteen months, as may be warranted by the facts and circumstances of the case.
33. It is noted that, in several previous investigations, the Authority has adopted a period of investigation either shorter or longer than twelve months, depending upon the facts in each case. In the present matter, the domestic industry had submitted that adoption of a twelve-month period from July 2024 to June 2025 would have resulted in substantial practical difficulties in the preparation and verification of costing data. The domestic industry had also submitted that the import volume and prices during a fifteen-month period were comparable to those that would have prevailed in a twelve-month period, thereby ensuring that the impact of imports was not flawed.
34. The Authority notes that the interested parties have neither disputed the factual correctness of the reasons furnished by the domestic industry nor provided reasons why considering 15 months as a period of investigation is inappropriate. The Authority found that the selected period facilitated ease of data preparation and verification without causing any distortion or skewness in the analysis, given the comparable volume and

value of imports during the relevant period. The Authority has compared the volume and price of imports as per DGCI&S transaction-wise data for the 12-month and 15 months period, which is produced below.

SN	Period	Import qty in MT*	Import value in Rs Lakhs*	CIF / Price (Rs/MT)*
1	July 23 to June 24	1,215	2,987	2,45,940
2	Apr 23 to June 24 (Annualised)	1,093	2,756	2,52,123

**The figures above are in decimal and have been rounded off.*

35. The Authority notes that even if a 12-month period (July 2024 to June 2025) were to be considered in place of the selected period of investigation, there would be no material change in the underlying facts of the case. The volume of imports and the price are very comparable. The interested parties have claimed that instead of changes in prices, the Authority should examine variations in the cost of production as the determining basis for selecting a period other than a standard 12-month period. In response, the domestic industry has furnished data demonstrating that there has been no significant variation in the cost of production during the relevant period.

SN	Period	Sales qty in MT	Cost of sales (Rs Lakhs)	Cost Rs/MT
1	July 23 to June 24	***	***	***
2	Apr 23 to June 24 (Annualised)	***	***	***

36. The information on record shows that the cost has remained almost stable. This clearly establishes that the cost-price has remained consistent, and therefore, there is no material difference in the factual position. The data is not skewed because of the selection of the investigation period.
37. The Authority also holds that consideration of the accounting year as part of the investigation period is desirable, particularly in those situations where its consideration would otherwise not skew the data. It is also noted that consideration of a fifteen-month period of investigation has not caused any prejudice or adverse impact on the outcome of the investigation or on bona fide interests of any set of interested parties. Accordingly, the Authority holds that the adoption of fifteen-month period of investigation is appropriate in the present case.
38. As regards disclosure of transaction-wise data by the applicant or DGTR, the Authority notes that the relevant information prescribed for the applicant is volume and value of imports and the source of the information. The information relevant to the Authority under the rules is the volume and price of imports. The transaction-wise data only constitutes information in the nature of supporting information relevant to the adequacy and accuracy of claims made by the applicant. Similarly, the information collected from the DGCI&S is only for the purpose of quantifying volume and value of imports, and the same has been appropriately disclosed in the present final findings. The interested parties have had enough opportunity to defend their interests on the information relevant to the investigation and determination.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

E.1 Submission made by the other interested parties.

39. No comments have been made by the other interested parties with regards to normal value or export price.

E.2 Submission made by the domestic industry.

40. The domestic industry has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i. The Authority should not determine the normal value for the responding producers on the basis of their own data, as they have failed to submit the MET questionnaire.
 - ii. In the absence of MET questionnaire, the producers cannot be granted MET status, and their data cannot be relied upon for normal value determination.
 - iii. The normal value must be determined as per Para 7 of Annexure I of the ADD rules.

E.3 Examination by the Authority

41. The response to the exporters questionnaire has been filed by the following producers/exporters from the subject country

- i. Tsaker Huayu Chemical Company Ltd.
- ii. Tsaker Chemical (Singapore) Pte. Ltd.

i. Determination of normal value.

42. Article 15 of China's Accession Protocol in the WTO provides as follows:

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

43. The domestic industry has relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol as well as para 7 of the Annexure I. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry, producing a like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

44. It is noted that while the provision contained in Section 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-dumping Agreement read with the obligation under Section 15(a)(i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming market economy treatment. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted a

response to the market economy questionnaire, the normal value computation is required to be done as per the provisions of paragraph 7 of Annexure I of the Rules.

45. The normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

46. The Authority notes that neither the domestic industry nor the interested parties have provided any information with regard to domestic price or constructed value in a market economy third country. It has been claimed that the product is produced only in China and India. Therefore, the Authority could not determine a normal value based on price from such a third country to another country, including India.
47. The Authority proposes to determine the normal value for China PR based on the price paid or payable in India for the like article. The normal value has been determined considering the cost of production in India after addition of the selling, general & administrative expenses, and the reasonable profits.

ii. Determination of export price.

- a. Tsaker Huayu Chemical Company Ltd (producer), and its related trader Tsaker Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
48. Tsaker Huayu Chemical Company Limited., has sold *** MT of subject goods of invoice value *** US\$ to India indirectly through a related exporter/trader namely Tsaker Chemical (Singapore) Pte. Ltd. The quantity and value of imports reported by the producer have been reconciled with the DGCI&S Transaction-wise data. The producer/exporter has claimed adjustments on accounts of ocean freight, inland transportation, port and other related expenses and insurance to arrive at export price at ex-factory level.
49. The Authority conducted a desk verification of the information provided by the producer. Additional/supplementary information was sought to the extent deemed necessary. The net export price so determined is shown in the table below.
- b. Export prices for all non-cooperative producers/exporters.
50. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has considered the data of the participating producer from China and export price has been determined on the basis of facts available.

iii. Dumping margin.

51. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows:

SN	Particular	Normal value	Net export price	Dumping Margin		
		\$/MT	\$/MT	\$/MT	%	Range
1	Tsaker Huayu Chemical Company Ltd.	***	***	***	***	20-30
2	Any other producer	***	***	***	***	30-40

F. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

F. 1 Submission made by the other interested parties

52. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. The applicant has misrepresented its production capacity and actual production figures before the Authority. As per the Consent Order issued by the Andhra Pradesh Pollution Control Board, the manufacture of DASDA was capped at 2,550 MT per annum until 31st July 2021, with no approved expansions during this period.
- ii. In 2018, the applicant applied for environmental clearance to expand DASDA capacity from 2,520 MT to 5,040 MT, thereby showing that the permitted capacity at that time remained at 2,520 MT. An independent report by Doulat Analysis dated 8th November 2021 states that the installed capacity of DASDA at the applicant's plant is 5,040 MT.
- iii. Despite an increase in overall demand, imports from the subject country declined in the period of investigation as compared to the base year.
- iv. The applicant and other domestic producers have benefited from the increase in demand. Export sales by Tsaker remain significantly lower than the applicant's production and sales.
- v. In 2022-23, there was an abnormal spike in raw material costs, particularly PNT prices, which later declined drastically by around 74%. Similar declines were recorded in other raw materials, resulting in an overall cost reduction of nearly 38%. The applicant has reported only a marginal fall in its cost of sales.
- vi. The recent price dip during the period of investigation is a market correction, and past abnormal prices shouldn't be used as a fair comparison base.
- vii. The applicant's costs are high due to high domestic transportation expenses.
- viii. The applicant has also increased its internal consumption of DASDA by 57% and export sales have declined primarily due to diversion towards internal consumption.
- ix. The decline in sales is due to the shift in demand of downstream industries from DASDA to DNSDA.
- x. Imports of DASDA from China PR, which historically ranged between 2,000-5,000 MT, have naturally declined to around 1,200-1,500 MT in recent years.
- xi. The high import volumes in earlier years were driven by significant domestic shortages and cannot be attributed to dumping. At present, import levels are minimal and do not justify the imposition of measures, particularly when landed import prices are higher than domestic selling prices.
- xii. The applicant's own key volume indicators such as capacity, production, sales, and employment, have all improved during the period of investigation.
- xiii. Inventory levels have reduced, and the applicant continues to maintain 88% market share.
- xiv. The injury suffered is due to outdated technology and a lack of R&D, hindering productivity and innovation, making domestic products less competitive.
- xv. The injury suffered is due to reliance on low-quality or imported materials increases costs and reduces competitiveness, and remote factory locations increase transport and production costs, while distance from key markets or ports limits access and increases shipping expenses, reducing global competitiveness.
- xvi. As per DGCI&S data, India imported 1,437 tons of DASDA at USD 3.041/kg (CIF) and exported 1,442 tons at USD 2.98/kg (FOB). This raises doubts about how higher-priced imports could harm domestic producers who kept domestic prices high while exporting at lower rates, forcing OBA (Optical Brightening Agent) manufacturers to import.
- xvii. The number of employees of the domestic industry increased over the period. Any layoffs appear to have occurred post-POI, which is irrelevant in an anti-dumping investigation.
- xviii. From January 2022 to June 2024, data from third-party sources show that Tsaker's export prices to India were broadly in line with, and often higher than, the export prices of the domestic industry.
- xix. On the submission of capacity expansion by Tsaker, the capacity expansion of 20,000 MT of Tsaker was never implemented. Tasker has implemented in new project for lithium battery electrode materials (50,000 tons/year).
- xx. It is a well-established principle under WTO law and DGTR practice that mere surplus capacity with subject producers does not constitute evidence of dumping or threat thereof.

- xxi. The domestic industry has not provided any evidence to substantiate on suspension of production and layoffs.
- xxii. It is well-settled DGTR practice to apply a 22% ROCE for the determination of the NIP, irrespective of the age or depreciation status of the plant.

F.2 Submission made by the domestic industry.

53. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
- i. The applicant is the second largest producer in the world, after China's Tsaker Group, which has a total installed capacity of 55,000 MT, far more than the demand in China, which is expected to be in the range of 30,000 to 33,000 MT.
 - ii. Capacity with Tsaker is twice the demand in China and 8 to 9 times higher than the Indian demand.
 - iii. The US Government has imposed a 25% additional duty on Chinese imports, which has affected Tsaker exports to the USA. As a result, Tasker is currently operating with significant idle capacity.
 - iv. The period 2020-21 was impacted by Covid-19, and the increase in demand in 2021-22 was due to uncertainties in the market. The demand for the product increased in the period of investigation compared to both the previous year and the base year.
 - v. Until 2021-22, there was a demand-supply gap, but in the recent period, there have been capacity expansions by other producers and the applicant.
 - vi. The volume of imports from the subject country increased in 2021-22 and then declined in 2022-23. Imports from the subject country surged by over 200% in the period of investigation compared to the previous year.
 - vii. The subject imports increased in 2021-22 due to stockpiling of inventories by importers, out of uncertainties in the market on account of the Covid-19 lockdowns. As a result, imports from the subject country increased sharply by 74% during that year.
 - viii. The imports have increased in relation to Indian production and Indian demand.
 - ix. There has been a sharp decline in the import price. The import price of the product was 9,208 \$/MT in January 2022 but steeply declined to 3,186 \$/MT by the end of the period of investigation. The price has further declined by 20% in the post-period of investigation.
 - x. The global price of Toluene has declined by only 12%, but the import price has declined by 65%.
 - xi. Although the price of raw materials declined by 23% in the period of investigation compared to the previous year, the import price fell by 65% during the same period. The decline in import prices is not proportional to the decline in raw material prices.
 - xii. The applicant has already suspended one production line and laid off 150 workers in the post-period of investigation. If the same situation continues, the applicant may be forced to a complete shutdown, leaving Tsaker Group as the dominant player in the Indian market.
 - xiii. Prior to the period of investigation, the landed price was above the applicant's selling price. However, in the period of investigation, the landed price declined and fell below the applicant's selling price.
 - xiv. During the period of investigation, the cost of sales declined by Rs. [***] per MT, but the selling price declined by Rs. [***] per MT. Thus, imports are significantly depressing prices.
 - xv. These dumped imports have undercut and depressed the applicant's prices, leading to losses and showing that the subject imports have adversely impacted the domestic industry.
 - xvi. The applicant's capacity remained constant until 2022-23. However, in view of growing demand, the applicant increased its capacity during the period of investigation. The capacity increased in March by [***] MT per month.
 - xvii. The documents cited by the interested party relate to capacity from a period prior to the injury period and are therefore not relevant. The capacity expansion by the applicant happened only during the period of investigation, which has not been contested by any party. While the other interested party has demanded full disclosure of documents of the applicant, it did not disclose its own production capacity during the hearing.

- xviii. The applicant's production increased in 2021-22 but declined in the subsequent period. Despite the increase in capacity during the period of investigation, the applicant's production and capacity utilisation declined.
- xix. Domestic sales declined in 2021-22 and increased in the subsequent period. With the increase in subject imports, the applicant's domestic sales declined in the period of investigation.
- xx. The production suspension was a strategic decision aimed at reducing surplus inventory caused by declining prices and increased import pressure. Inventory with the applicant declined in 2021-22, increased in 2022-23, and declined in the period of investigation.
- xxi. Market share of the imports increased in 2021-22, declined in 2022-23 but increased again in the period of investigation. The market share of the applicant has declined.
- xxii. The profits of the applicant increased in 2021-22 but declined in 2022-23. With the sharp increase in imports and decline in import prices, the applicant's profits turned into losses in the period of investigation.
- xxiii. The cash profit and profit before interest increased in 2021-22, declined in 2022-23 and turned negative in the period of investigation. The return on the investment is negative.
- xxiv. The applicant recorded negative growth in terms of volume and price parameters in the period of investigation.
- xxv. Considering a 22% return on capital employed for NIP is not appropriate as the plants are depreciated. The depreciation cost is itself very low.
- xxvi. On the submission that injury is due to high transportation cost, the cost of transportation is only [***] of the total input cost and transportation cost cannot be a cause of injury.
- xxvii. On the submission that the export price of the applicant is comparable to the import price, Indian producers not only compete with the Chinese imports in the Indian market but also in the export market. The Chinese producers, faced with surplus capacities and non-market economy conditions, are able to export the product at dumped prices.

F.3 Examination by the Authority

- 54. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-11 thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry, such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
- 55. The Authority has taken note of the various submissions made by the interested parties, including the domestic industry, and has analyzed them considering the facts available on record and the applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
- 56. The Authority has examined the submissions made by the interested party regarding the alleged misrepresentation of the production capacity by the domestic industry. The interested parties have relied upon certain documents, such as the APPCB consent order and an independent report by Doulat Analysis, to contend that the permitted capacity of DASDA was 2,520–2,550 MT per annum and that no expansion was approved during the relevant period.
- 57. The domestic industry has submitted documentary evidence in support of its claimed capacity. The environmental clearance granted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in September 2019 for expansion up to 10,080 MT, and the subsequent Pollution Control Board consent for expansion was received in February 2022 (5040 MT each for Unit I and Unit III), permitting expansion subject to conditions. The Authority notes that the installed capacity of the plant was increased to 840 MT from March 2024, thereby reflecting the enhanced cumulative capacity of 10,080 MT after the installation of a new boiler and other auxiliary equipment, which is also certified by the DI. Therefore, the Authority has considered the capacity as

per the management certificate /Pollution control board certificate. The allegation of misrepresentation or inconsistency in production capacity is therefore not substantiated and is rejected.

58. As regards comments that factors such as shortage of skilled labour, outdated technology, change in market demand, exchange rate etc. have caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the other interested parties have not produced any evidence to substantiate their claims. As noted by the WTO Panel in its Report relating to China – X-Ray Equipment (DS425), where an interested party identifies a factor other than dumped imports causing injury but does not provide evidence showing how this factor is causing injury to the domestic industry, the investigating authority is not required to make a determination with regard to that factor. In the present case, the interested parties have made mere generic statements. Since the Rupee depreciated over the injury period as compared to US\$ and the domestic industry's operations and costs were not so directly linked to US\$ shows that the change in exchange rate would have at least resulted in higher import price and better prices for the domestic industry.
59. The Authority has examined the submissions made by the interested parties on the higher cost of production on account of internal inefficiencies, particularly due to higher transportation costs for PNT. In this regard, the DI has certified that PNT is the primary Raw material for the production of DASDA. Deepak Nitrite Limited (DNL) utilizes PNT captively for manufacturing DASDA and produces PNT at its Nandesari Plant. The transfer price is determined in the books of accounts by the management on a monthly basis, considering factors like the market rate of PNT from the previous month, the expected market price in the present month, etc. In the absence of captive consumption, the domestic industry would have also incurred inland freight expenses while procuring PNT through imports or domestic purchases. Thus, the cost element in question is inherent to the production process and cannot be considered a cause of injury.
60. The domestic industry has submitted that due to the presence of dumped imports in the market, it was forced to suspend production on one of its production lines for a substantial period of [***] days during the period of investigation, and the production has been further suspended in the post period of investigation. During the on-site plant verification, the Authority examined this claim in detail. It was seen that the domestic industry produces the like article in more than production units and out of these units, Unit-3 has been completely shut down. It was also seen that the entire workforce associated with this unit had been laid off. In support of this, the domestic industry has furnished before the Authority sufficient documentary evidence showing that it was forced to lay off employees. The Authority have examined the documents provided and notes that there is a direct consequence of the adverse market conditions created by dumped imports.
61. It has been stated by the domestic industry that the performance in the period 2020-21 and 2021-22 was impacted by Covid 19 and therefore, the domestic industry has requested that the comparison of injury performance in the period of investigation to be made with 2022-2023. The COVID conditions prevailed during the years 2020-21 and 2021-22. The Authority notes that the purpose of determining the injury period for injury assessment is to consider the performance of the domestic industry for the entire period of four years. Therefore, as per the consistent practice, the Authority has compared the performance of the domestic industry from the base year. However, performance in the intervening period has been given due weightage in injury analysis.
62. The other interested parties have claimed that the import price into India is comparable with the export price of the product under consideration from India, and when the domestic industry has exported at that price, it cannot claim injury due to imports at the same price. The domestic industry has, however, claimed that the product being produced only in China and India, it competes with the producers in China in other markets as well and therefore, is suffering injury in the other market as well. It is also claimed by the domestic industry that from their available records the exports are also at a loss. The Authority notes that it is required to examine injury to the domestic industry in the domestic market. Therefore, performance in the export market is not relevant. The Authority also notes that the domestic industry is competing with the Chinese producers in the global market.
63. The other interested parties have claimed that the demand from downstream industries may have changed due to the shift of DASDA to DNSDA. The domestic industry has, however, claimed that OBA producers cannot use DNSDA as a raw material and DNSDA has to be processed into DASDA, which is then used to make OBA. The Authority notes that the demand and import volume for the product under consideration show an increase. Had there been a shift in demand from DASDA to DNSDA, the equal impact would have been seen in demand and imports as well. Therefore, the contention that there is a switch in demand does not hold true.

F.4.1 Assessment of demand/apparent consumption

64. The Authority has determined demand/apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the domestic industry, sales as per support letters provided by other producers, estimated sales of other producers and imports from all sources.

SN	Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI A
1	Sales of the applicant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	130	117
2	Sales of supporter	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	84	70	96
3	Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	84	52	71
4	Imports from China PR	MT	1,547	2,676	366	1,093
5	Total demand excluding captive	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	113	75	91
6	Captive consumption	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	137	142	155
7	Total demand including captive	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	119	93	108

65. It can be seen that the demand for the product increased in 2021-22 but declined in 2022-23. The demand for the product increased during the period of investigation. The demand for the product (including captive) has increased in the period of investigation as compared to the base year as well as previous year.
66. It has been stated that the period 2020-21 was impacted by Covid and the sudden increase in demand in 2021-22 was due to uncertainty created in the market. The demand normalized in the subsequent period and increased in the period of investigation.

F.4.2 Volume effect of dumped imports on the domestic industry

67. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the DGSI&S import data. The information on imports is as below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI A
1	Imports from China PR	MT	1,547	2,676	366	1,093
2	Subject imports in relation to					
3	Indian production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	143	23	68
4	Indian demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	154	32	78

68. It is seen that the volume of imports from the subject country increased in 2021-22, declined significantly in 2022-23 and increased again in the period of investigation. Imports from the subject country have increased by more than 200% in the period of investigation as compared to the previous year. The imports of subject goods declined during the injury period.
69. It has been stated that the increase in imports in 2021-22 was due to stockpiling because of uncertainties in the market arising from the Covid-19 lockdown. As the imports increased, the demand also increased and declined in the subsequent period.
70. The imports in relation to production and consumption increased in 2021-22, declined in 2022-23 and then increased again in the period of investigation.
71. When compared to the base year, the imports from the subject country have declined in the period of investigation, but when compared to the immediately preceding year, the imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
72. Globally, apart from India, China is the only country where the product is being produced, and the imports from China PR accounted for 100% of total imports during the injury period.

F.4.3 Price effect of dumped imports on the domestic industry

73. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country with reference to the price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

a. Evolution of price

74. The Authority has examined the raw material cost and import price over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Total raw material cost	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	126	153	129
2	Import price from China PR	Rs/MT	3,12,049	4,02,588	4,02,030	2,52,123
	Trend	Index	100	129	129	81

75. It is noted that both the raw material cost and import price increased in 2021-22. The raw material cost and import price further increased in the year 2022-23. The cost and import price have declined in the period of investigation. However, the decline in the import price was significantly higher than the raw material cost. When seen over the injury period, the raw material cost has increased, but the import price has declined. It is seen that the import price has not moved in line with the raw material cost. It is also seen that with a decline in the import price in the period of investigation, the import volumes have shot up.

b. Price undercutting

76. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realisation of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of dumped imports from the subject country work out as follows.

SN	Particulars	Unit	POI
1	Landed price	Rs/MT	2,72,922
2	Selling price	Rs/MT	***
3	Price undercutting	Rs/MT	***
4	Price undercutting	%	***
5	Price undercutting	Range	0-10

77. It is seen that the price undercutting is marginally positive in the period of investigation. The Authority notes that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry despite the domestic industry selling the product at a loss.

c. Price suppression/depression

78. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress such prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined as below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	124	154	131
2	Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	145	145	100
3	Landed price	Rs/MT	3,37,793	4,35,802	4,35,197	2,72,922
	Trend	Index	100	129	129	81

79. It is seen that:
- The cost of sales and the selling price of the domestic industry increased in 2021-22. In the year 2022-23, the cost of sales increased by 30 index points, but the selling price remained almost the same. While the selling price did not increase in proportion to the increase in the cost of sales, it continued to remain higher than the cost of sales and the domestic industry was able to earn a reasonable profit.
 - In the period of investigation, both cost of sales and the selling price of the domestic industry declined. While the cost of sales declined by 23 index points, the selling price declined by 45 index points. The selling price has declined at a higher rate as compared to the decline in the cost of sales.
 - Till 2022-23, the landed price of imports was above the cost of sales and selling price of the domestic industry. The landed price of imports in the period of investigation was below the cost of sales and selling price of the domestic industry.
 - When seen over the injury period, the cost of sales increased by 31 index points, the selling price remained the same and landed price has declined by 18 index points.
80. It is noted that the domestic industry was unable to align its selling price with the changes in the cost of sales. The dumped imports have depressed the prices of the domestic industry.

F.4.4 Economic parameters of the domestic industry.

81. Annexure II to the Anti-Dumping Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions:
- Capacity, production, capacity utilization and domestic sale.**
82. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI A
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	100	100	111
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	135	119	120
3	Capacity utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	135	119	108
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	91	130	117
5	Exports	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	117	57	59
6	Captive sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	137	142	155

83. It is noted from the table above that:
- The capacity with the domestic industry remained constant till 2022-23 and increased in the period of investigation. The domestic industry expanded its capacity in March 2024 by [***] per month.

- b. The production of the domestic industry increased in 2021-22 but declined in 2022-23 and further declined in the period of investigation. The production of the domestic industry has increased over the injury period.
- c. The capacity utilization of the domestic industry increased in 2021-22 but declined in 2022-23 and further declined in the period of investigation.
- d. The domestic sales of the domestic industry declined in 2021-22, increased in 2022-23. However, as the subject imports increased in the period of investigation, the domestic sales of the domestic industry declined again in the period of investigation.
- e. The export sales of the domestic industry have declined over the injury period.
- f. The captive sales of the domestic industry have increased over the injury period.
- g. The domestic industry was forced to suspend production on one of its production lines for [***] days in the period of investigation leading to a loss of production of around *** MT.
- h. The domestic industry has also claimed that the significant dumping of the product has led to the shutdown of one of the production lines in the post period of investigation. The domestic industry has provided evidence in support of the plant shutdown.

b. Market share.

84. The information on market share of the domestic industry, other Indian producers and the subject country is as under.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	81	174	129
2	Supporters	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	75	93	105
3	Other Indian producers	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	75	69	78
4	Imports from China	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	154	32	78

85. It is seen that the market share of the domestic industry declined in 2021-22, increased in 2022-23, and declined in the period of investigation. The market share of the supporters has remained constant over the injury period. The market share of other Indian producers has declined over the injury period.
86. The market share of China increased in 2021-22, declined in 2022-23 and then increased again in the period of investigation.

c. Inventories.

87. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI A
1	Opening stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	31	80	65
2	Closing stock	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	254	208	129
3	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	85	110	81

88. It is seen that the closing inventory with the domestic industry increased in 2021-22, declined in 2022-23 and further declined in the period of investigation. The domestic industry has submitted that it has partly suspended production towards the end of the period of investigation and as a result, the inventory has declined.

d. Profitability, cash profits and return on investment.

89. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
1	Profit/(Loss) per unit	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	260	92	-79
2	Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	237	119	-92
3	Cash profit per unit	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	245	96	-53
4	Cash profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	223	126	-62
5	PBIT per unit	Rs/MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	257	90	-78
6	PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	234	118	-91
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Index	100	194	74	-50

90. It is seen that:

- The profits of the domestic industry increased in 2021-22 and declined in 2022-23. With a sharp decline in the import price, the profits of the domestic industry have declined in the period of investigation and turned into severe financial losses.
- The cash profit and profit before interest have also followed a similar trend as profit. Cash profit and profit before interest increased in 2021-22 and declined in 2022-23. The cash profit and profit before interest have turned negative during the period of investigation.
- The domestic industry has recorded financial losses, cash losses and negative return on investment in the period of investigation.

e. Employment, wages and productivity

91. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI A
1	No. of employee	Nos	***	***	***	***
	Trend	Index	100	103	118	136
2	Salaries & wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Trend	Index	100	109	118	119
3	Productivity per day	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	135	119	120
4	Productivity per employee	MT	***	***	***	***
	Trend	Index	100	132	101	88

92. It is seen that:

- a. The number of employees and wages paid by the domestic industry have increased over the injury period.
- b. The productivity per day increased in 2021-22, declined in 2022-23 and remained at a similar level in the period of investigation.
- c. The domestic industry has claimed that the significant dumping of the product has led to the shutdown of one of the production lines in the post period of investigation and the domestic industry has been forced to lay off employees.

f. Growth

93. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, PBT, PBIT, cash profits and the return on capital employed are given in the table below:

SN	Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
1	Capacity	%	0%	0%	11%
2	Production	%	35%	-12%	0%
3	Domestic sales volume	%	-9%	43%	-10%
4	Profit per unit	%	160%	-65%	-186%
4	Cash profit per unit	%	145%	-61%	-155%
5	PBIT per unit	%	157%	-65%	-186%
6	ROCE	%	94%	-62%	-167%

94. It is seen that with low priced imports from the subject country in the period of investigation, the growth of the domestic industry in domestic sales, capacity utilization, profit per unit, PBIT per unit, cash profit per unit and return on capital employed was significantly negative.

g. Magnitude of dumping margin

95. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the period of investigation.

h. Ability to raise capital investment.

96. The performance of the domestic industry was adversely impacted on both volume and price accounts. As the import price from the subject country declined, the domestic industry suffered from losses, cash losses, and low return on investment. Thus, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been significantly impacted.

i. Factors affecting price

97. Examination of DGCI&S import data showed that the import price from the subject country is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. With an increase in the volume of imports from the subject country, the domestic industry has been unable to change its selling price commensurate with the changes in the cost of sales. There is a significant price effect of the imports due to low-priced imports from the subject country. Therefore, the imports from the subject country have affected the prices of the domestic industry.

F.4.5 Conclusion on injury

98. On the basis of above, the following conclusions have been drawn:

- a. The imports have increased in the period of investigation compared to previous year.
- b. It is seen that the import price has not moved in line with the raw material cost. Over the injury period, the raw material cost for the product under consideration has increased by Rs *** per MT, but the

- import price has declined by Rs ***per MT. When seen in comparison to the immediately preceding year, the raw material has declined by Rs *** per MT, the landed price has declined by Rs *** per MT.
- c. Imports are undercutting the selling prices of the domestic industry.
 - d. While the cost of sales of the domestic industry increased by Rs *** per MT, the selling price has declined by Rs *** per MT The domestic industry has not been able to increase its prices in line with the increase in the cost.
 - e. The dumped imports have depressed the prices of the domestic industry.
 - f. Production and capacity utilization of the domestic industry has declined in the period of investigation as compared to the immediately preceding year.
 - g. Domestic sales of the domestic industry have declined in the period of investigation despite increase in the capacity and demand.
 - h. The market share of the imports from the subject country has increased during the POI as compared to preceding year whereas the market share of the domestic industry declined in the POI as compared to preceding year.
 - i. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation. From a situation of profit of Rs [***] per MT, the domestic industry has suffered losses of Rs [***] per MT in the period of investigation.
 - j. The domestic industry has recorded a negative growth in all the parameters in the period of investigation.

99. It is therefore concluded that the domestic industry has suffered material injury.

G. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

100. The Authority is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could have contributed to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

101. Imports from the subject country constitute 100% share in the total imports into India. In the absence of imports from the other countries, injury to the domestic industry cannot be caused due to other imports.

b. Contraction in demand

102. It is seen that the demand for the subject goods (including captive) has increased over the injury period. Therefore, the domestic industry has not suffered injury due to contraction in demand.

c. Change in the pattern of consumption

103. There has been no known material change in the pattern of consumption for the product under consideration that could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

104. No interested parties have produced any evidence relating to any possible trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that trade restrictive practice has not caused injury to the domestic industry.

e. Development of technology

105. The Authority notes that there is no evidence that technology for the production of the subject goods has undergone change over the injury period. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance

106. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause of injury to the domestic industry.

g. Performance of other products

107. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of injury to the domestic industry.

h. Causal link between dumping and injury.

108. The above factors examined by the Authority show that injury is not caused due to any other factor. The examination below shows injury is caused due to dumping of the product under consideration.
- a. Imports from the subject country are at dumped prices.
 - b. Import prices from the subject country declined at a rate more than the decline in the cost of raw materials. The import price is now below the cost and selling price of the domestic industry.
 - c. As the landed price was below the cost and price of the domestic industry, the dumped imports were depressing the prices of the domestic industry.
 - d. As a result of the low-priced imports and price depression, the domestic industry has incurred financial losses, cash loss and negative return on capital employed.
 - e. The imports from the subject country increased in the period of investigation more than the increase in demand.
 - f. The market share of the domestic industry has declined and that of the dumped imports has increased during the POI as compared to preceding year. The domestic sales, and capacity utilisation also followed the same trend during the POI as compared to preceding year.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN.

109. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been compared with the landed price of the product under consideration from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials and utilities and the best utilization of production capacity have been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or non-injurious price. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) deployed for the product under consideration has been allowed for recovery of interest, corporate tax, and profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules.
110. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared on weighted average basis. The weighted average of the injury margin determined for producers/exporters by the Authority is provided in the table below:

SN	Particular	NIP	Landed price	Injury Margin		
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Tsaker Huayu Chemical Company Ltd.	***	***	***	***	5-15
2	Any other producer	***	***	***	***	20-30

I. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES**A.1 I.1 Submissions made by the other interested parties**

111. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Imposing anti-dumping duties on imports from China PR would increase costs for downstream industries of OBA manufacturers like Khyati, risking job losses and slower growth.
- ii. Downstream sectors like paper, textiles, and detergents would also face higher input prices, impacting producers and consumers.
- iii. Given that DASDA is produced only in China and India, extra duties would reduce market competition and efficiency. Existing customs duties and past anti-dumping measures already sufficiently protected the applicant, making further duties unnecessary and harmful to Indian businesses and consumers.
- iv. The applicant has consistently sold DASDA to Khyati at prices higher than its export prices, disadvantaging Khyati in both domestic and export markets. If anti-dumping duty is imposed, the gap will likely worsen making it unviable for independent OBA producers to operate.
- v. Integrated producers may restrict DASDA supply post-anti-dumping duty, creating artificial scarcity to monopolize the OBA market, harming fair competition.
- vi. There are around 5 producers of DASDA in India, with a combined capacity of 12,600 MT. Against this, the domestic demand is about 12,975 MT, indicating a tight demand-supply balance.
- vii. None of the other MSME producers have supported the applicant or submitted independent data, raising doubts over the claimed injury. Any alleged injury to unidentified MSMEs is speculative and legally untenable.
- viii. The claim that OBA profitability is independent of DASDA prices is incorrect, as integrated producers like domestic industry can manage internal transfer prices, while non-integrated producers such as Khyati are directly impacted by DASDA price fluctuations.
- ix. Khyati's profitability declined over the years. Any increase in cost of DASDA will add on to such declines in profits further and even 10% ADD on DASDA can trigger over all 3-4% cost increases and ultimate loss.
- x. Around 40-50% of the domestic industry capacity is used for captive consumption and some for exports. The actual quantity of DASDA available for sale in the domestic market is much lower than the claimed capacity.
- xi. Khyati Chemicals Private Limited has provided the following cost details relating to OBA production:

SN	Particulars	UOM	Amount in INR
1	Cost of DASDA	INR	30,45,67,157
2	Other cost	INR	90,93,85,701
3	Total Cost	INR	1,21,39,52,858
4	Share of DASDA	%	25%
5	Share of DASDA	Range	20-30%

- xii. Further, Khyati Chemicals Private Limited submitted that the duty may increase the cost of OBA by about 5-8%.

A.2 I.2 Submissions made by the domestic industry

112. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Indian industry consists of both organized and MSME producers.
- ii. The other MSME producers, being largely single-product companies, have been severely impacted by low-priced imports. While the applicant has shut down one production line, the situation is even worse for others, making survival increasingly difficult.
- iii. The product under consideration is majorly used in manufacturing of Optical Brightening Agent (OBA). The imposition of anti-dumping duty would have insignificant impact on the end product.
- iv. The profitability of OBA was highest in 2021-22 when DASDA prices were higher. Even in the period of investigation, when the price of DASDA declined in the period of investigation, the OBA price in

- India also declined. Anti-dumping duty on DASDA will not necessarily imply a decline in OBA profitability.
- v. The product has previously been subject to anti-dumping duty, with no known adverse impact on the downstream OBA industry. OBA industry operates on a pass-through model, where cost increases are passed on to the end consumer.
 - vi. The profitability of Khyati Chemicals improved consistently till 2022-23, declined in 2023-24 despite a decline in the DASDA prices. This indicates that the downstream OBA industry achieved peak profitability when DASDA prices were highest.
 - vii. Domestic sourcing also allows consumers to maintain lower inventory levels, reducing capital blockage and improving supply reliability compared to dependence on imports. As Indian industry, being locally established, is more aligned with consumer interests.
 - viii. India is fully self-reliant in the product, with domestic capacity exceeding 12,000 MT against a total demand of around 9,000 MT. Despite the absence of any demand-supply gap, imports from China PR have increased sharply during the period of investigation.
 - ix. There is significant competition in the market as there are 4-5 producers of like article in India. The imposition of anti-dumping duty would not monopolize the Indian market.
 - x. Unlike foreign producers driven by profit and market-switching, the Indian industry supports long-term consumer interests and reduces inventory costs for buyers.
 - xi. The applicant has spent nearly 28 crores during FY 2023-24 on contributions towards society, and these initiatives have benefitted 8,50,000 people.
 - xii. DASDA comprises only about 25% of OBA production costs, and even with a 10% duty, the overall impact on OBA costs would be just 2.5%, with less than 1% effect on downstream consumer goods.
 - xiii. There are surplus capacities in India and therefore, the claim of Khyati Chemical that duties will lead to short supply and excessive price is unfounded.
 - xiv. The domestic industry has also provided a quantified illustration of the possible impact of anti-dumping duty, assuming a duty of 10%, which is shown below:

SN	Particulars	UOM	Ref.	Value
1	Sales Price of DASDA	Rs/Kgs	A	250.00
2	DASDA required for OBA (Norms)	KG/KG	B	0.40
3	In OBA Price, DASDA Share	Rs/Kgs	C=A*B	100.00
4	OBA Sales Price	Rs/Kgs	D	400.00
5	% of DASDA in total price of OBA	%	E=C/D	25.00%
6	Anti-dumping duty (illustrative)	%	F	10.00%
7	Price impact on DASDA	%	G=E*F	2.50%

- xv. The domestic industry has also provided information on the profitability of Khyati Chemicals over the injury period. It has been claimed that the primary operations of the company is production of OBA by using DASDA. The table below shows the operations of Khyati Chemicals over the injury period.

SN	Particular	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	Revenue from operation	Rs lakhs	18,794	22,753	21,462	15,505
2	Cost of sales	Rs lakhs	14,902	19,018	17,584	14,962
3	Profit before tax	Rs lakhs	4,246	4,602	4,683	1,193
4	RM to turnover	%	56%	56%	56%	69%
5	PBT to turnover	%	23%	20%	22%	8%
6	ROCE	%	41%	43%	27%	6%
7	DASDA price	Rs/MT	3,07,123	3,98,682	4,00,804	2,52,003

I.3 Examination by the Authority

113. The Authority examined whether the imposition of the proposed anti-dumping duty would be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of various parties, including the domestic industry, importers and consumers.
114. The Authority issued a gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, users and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including the possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the antidumping duty on the consumers, and the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.
115. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market.
116. The Authority had circulated an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to all interested parties in the present investigation. Responses were received from the domestic industry and Khyati Chemicals Private Limited. It is noted that Khyati Chemicals Private Limited has not provided any detailed or quantified analysis of the likely impact of anti-dumping duty. Instead, it has only made a general statement that the duty may increase the cost of OBA by about 5–8%.
117. From the above data submitted by Khyati Chemicals Private Limited, it is evident that DASDA accounts for approximately 25% of the total cost of OBA (Optical Brightening Agent).
118. The domestic industry has also provided a quantified illustration of the possible impact of anti-dumping duty, assuming a duty of 10%.
119. The calculation submitted by domestic industry shows that even if a 10% anti-dumping duty is imposed on DASDA, the overall impact on the price of OBA would be only about 2.5%.
120. The domestic industry has also provided information on the profitability of Khyati Chemicals over the injury period. It has been claimed that the primary operations of the company is production of OBA by using DASDA.
121. Based on the information on record, it is seen that the financial performance of Khyati Chemicals does not exhibit any direct correlation to DASDA prices. The profitability has declined when the DASDA prices are lowest. Accordingly, the Authority finds that the OBA industry is capable of passing on any marginal increase in costs to downstream sectors.
122. With regards to the contention that users rely on subject imports due to demand and supply gap in India. The Authority based on the information on record, noted that the capacity in India is more than the demand in the country. There is no demand and supply gap in the country. Even if anti-dumping duty would bring the import volume to fair prices, the downstream industry in India will not be deprived of supplies.
123. With regards to the contention that DASDA producers in India also make OBA and anti-dumping duty on DASDA will deprive the OBA producers of DASDA, the Authority notes that with surplus capacity of DASDA in India, there is no reason to claim that the imposition of anti-dumping duty will deprive the user industry of DASDA at fair prices. The imposition of anti-dumping measures does not restrict imports from the subject country in any way.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS**J.1 Comments made by the other interested parties**

124. The following comments on the disclosure statement have been filed by the other interested parties:
- a. The Authority's findings do not address the inconsistency in the production capacity declared by the domestic industry during earlier investigation periods. It was stated that the Authority relied on environmental clearance granted in 2019 and subsequent approvals in 2022 and 2024, which relate to later expansions and therefore do not reconcile the capacity figures declared in earlier investigations.
 - b. The claim that the shutdown of Unit-3 and layoffs were caused by dumped imports lacks evidence. Market information indicates the shutdown occurred in late 2025, beyond the POI, and therefore cannot be attributed to imports during the POI.

- c. The comparison of import prices with the domestic industry's export prices shows no price distortion in the Indian market. If the domestic industry exports at comparable or lower prices, similar-priced imports cannot be considered injurious, as they reflect global market conditions.
- d. The Authority's analysis of price evolution does not reflect the actual transactional pricing behaviour during the injury period. Exports of DASDA from Tsaker to India in 2022 occurred only in a few isolated months, and therefore the price trend cannot be attributed to sustained pricing behaviour in the Indian market.
- e. The uniform adoption of a 22% pre-tax Return on Capital Employed (ROCE) for determination of the Non-Injurious Price is excessive and not mandated under Annexure III of the Anti-Dumping Rules, which only requires a "reasonable return".
- f. The adoption of a 15-month period of investigation is legally unsustainable Rules, as the mandatory conditions for deviating from the standard 12-month POI were not fulfilled at the time of initiation.
- g. The post-facto reasoning in the disclosure statement merely reproduces the applicant's arguments without independent scrutiny and cannot cure the fundamental legal defect. The Authority's observation that the extended period includes a complete financial year is irrelevant.
- h. The authorization and certification of the domestic industry's is not valid as the signatory's empowerment under company law and the Articles of Association is unclear.
- i. The imports of DASDA from China PR have declined sharply, from nearly 50% of Indian demand to only 10-12% during the POI. Past DGTR findings confirm reduced import volumes and market significance, with no price effects, as even the applicant's data shows negative price undercutting.
- j. The Authority has not adequately examined the tightly balanced demand-supply situation for DASDA in India, where much of the installed capacity is used for captive OBA production and some is exported, leaving the merchant market reliant on limited imports of 10-11%.
- k. With domestic producers already meeting nearly 90% of demand and imports only a small balancing share, duties would not address injury but risk harming downstream industry, competition, and consumers.

J.2 Comments made by the domestic industry

125. The following comments on the disclosure statement have been filed by the domestic industry:

- a. Transaction-wise data shows significant variation in import prices over months, purchasers, and regions. Weighted averages hide the real extent of injury, as recognized by the Hon'ble Tribunal in *Kothari Sugars & Chemicals Limited v. Designated Authority and Honest Enterprises Ltd. v. Designated Authority*.
- b. There is no fixed rule defining how the Authority should determine the injury margin. While the Authority has historically calculated injury margin as the difference between the NIP and the landed price of imports. This approach does not address all situations, particularly where import prices vary significantly by transaction, region, customer, or time period.
- c. Many import transactions occur above NIP and do not harm the domestic industry, the industry's concern is only with imports priced below NIP. Therefore, the injury margin should be determined solely on imports sold below NIP.
- d. For the purpose of non-injurious price, Para Nitro Toluene (PNT) should not be valued at market prices for determining the NIP of DASDA, as prevailing market prices of PNT are depressed due to significant dumping. Using these dumped market prices for NIP would artificially lower the price and fail to prevent injury.
- e. The import price of DASDA has continued to decline even after the period of investigation, despite no proportional reduction in raw material costs. Consequently, both dumping and injury margins have increased significantly in the post-POI period.
- f. Since depreciation costs and net fixed assets of the domestic industry are low, applying a 22% ROCE for NIP purposes is inappropriate and does not provide adequate relief against dumped imports. The Authority may consider the actual ROCE earned in 2022-23, a period of fair competition with no dumping.
- g. Since the impact of anti-dumping duty on OBA is only 2.5%, the anti-dumping duties are not likely to lead to any material increase in the prices of the consumable end product. The impact of proposed measures on consumable end products is less than 1%.

- h. The domestic industry has spent nearly Rs 28 crores during FY 2023-24 on contributions towards society. The initiatives taken by the domestic industry have benefitted 8,50,000 people lives.
- i. There are more than 5 producers of the like article in India. Hence, the anti-dumping duty would not lead to the domestic industry monopolising the Indian market.
- j. The import price of DASDA has sharply declined over the injury period, from USD 9,208/MT in January 2022 to USD 3,186/MT by the end of the period of investigation, and continued to fall post-POI, reaching its lowest level in March 2025. This decline occurred despite no proportionate reduction in raw material costs. It is requested that benchmark form of anti-dumping duty must be imposed based on the landed price of imports during the POI.
- k. The benchmark duty would target only imports priced below the non-injurious price, ensuring fair competition without raising prices for imports above the non-injurious level or affecting the downstream industry.

J.3 Examination by the Authority

126. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is seen that most of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
127. On the comments that 22% return should not be provided on capital employed for calculation of non-injurious price, the Authority considers that it has been consistent practice to consider 22% return on capital employed. The Authority notes that no evidence/submissions have been made by interested parties substantiating why 22% return on capital employed is not justified in the facts and circumstances of the present case which could have justified well established practice of the Authority.
128. The domestic industry has submitted that Para Nitro Toluene (PNT), the primary raw material used in the manufacture of the product under consideration, should not be valued at prevailing market prices for the purpose of determination of the non-injurious price. The prevailing market prices of PNT are depressed due to dumping of PNT and therefore should not be relied upon for determining the non-injurious price. The matter has been examined, and it is noted that the Annexure III to the anti-dumping rules require calculation of cost of production based on the cost reflected in the records maintained by the domestic industry. Since the actual costs reflected in the books of accounts are the real cost, the same have to be considered for the purpose of calculation of non-injurious price. In the present case, costs as reflected in the books of accounts have been considered.
129. With regard to the submission that imposition of anti-dumping duties would not be in the public interest as the product under consideration is a key raw material for downstream industries such as OBA, it is noted that the investments are made with fair operations in mind. The investigation has shown that the immediate downstream industry can pass on the increase in the cost to its further downstream industry and the impact of anti-dumping duty on the end product is found to be very low. It is also seen that the prices of DASDA were higher in past and have declined only in the period of investigation. The user industry has not claimed that the past high prices affected their operations. It is therefore considered that the domestic industry's performance has not been impacted.
130. With regard to the comments of the interested parties on the capacity reported by domestic industry, the Authority notes that all documents relied upon by the interested parties pertain to periods prior to the injury period. The documents cited by the interested parties relate only to one production line, whereas the domestic industry has more than one production line. The documents relied upon by the interested parties do not reflect the total installed capacity of the domestic industry. As already examined in the disclosure statement, the domestic industry has submitted various documents in support of the claimed capacity. The Authority finds that the evidence placed on record by the domestic industry adequately establishes the correctness of its reported capacity and the enhancement during the period of investigation.
131. With regard to the comments of the interested parties on the demand and supply gap situation, it is seen that information on record does not show any demand and supply gap in India. It is seen that the capacity in India is sufficient to cater the entire demand in India.

132. With regard to the submission that import prices from Tsaker, even after payment of the existing customs duty of 7.5%, are not lower than the domestic selling price of the domestic industry, it is noted that the price undercutting has been found to be positive. Therefore, the submission cannot be accepted.
133. The domestic industry has requested for the benchmark duty as it would target only imports priced below the non-injurious price, ensuring fair competition without raising prices for imports above the non-injurious level or affecting the downstream industry. The matter has been examined, and taking into account the factual matrix of the case, benchmark/reference form of anti-dumping duty is recommended in this case.

K. CONCLUSION

134. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a. The product under consideration in the present investigation is 4,4-Diamino Stilbene 2,2-Disulphonic Acid (DASDA). The product is also known as 2,2'-(1,2-Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid), 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-Disulfonic Acid, and DSD Acid.
 - b. The product is being imported under sub-heading 2921. The product has a dedicated classification under HS code 2921 59 40. However, the product has also been imported under the classifications 2921 42 90.
 - c. The application has been filed by Deepak Nitrite Limited. Apart from the applicant, there are eight other producers of the subject goods in India.
 - d. The application has been supported by other producers.
 - e. The other producers have supported the present investigation. The domestic industry accounts for more than 75% of the total Indian production.
 - f. The Authority holds that the applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - g. Dumping margin is positive for Tsaker Huayu Chemical Company Ltd. and other non -participating exporters.
 - h. Imports have sharply increased in the period of investigation compared to the previous year.
 - i. While the raw material costs have increased over the injury period, the import price has declined. Even when compared to the immediately preceding year, both the import price and the raw material costs have declined, but the decline in the import price is far higher.
 - j. While the cost of sales of the domestic industry increased by Rs *** per MT during the injury period, the selling price has declined by Rs *** per MT during the same period. The domestic industry has not been able to increase its prices in line with the increase in the cost.
 - k. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.
 - l. The dumped imports have depressed the prices of the domestic industry.
 - m. The domestic industry expanded its capacity. While the capacity and demand in India increased, the domestic sales have declined during the POI as compared to preceding year.
 - n. The domestic industry suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.
 - o. The domestic industry has not suffered injury due to other factors. The material injury caused to the domestic industry is due to the dumping of the product under consideration from the subject country.
 - p. There is no demand-supply gap in the country, and the Indian industry has sufficient capacity to cater to the entire domestic demand.
 - q. The imposition of anti-dumping measures does not restrict imports from the subject country in any way.
 - r. The impact of recommended anti-dumping duty on downstream industries is insignificant. Anti-dumping duty would ensure that the imports are entering the Indian market at fair prices and a level playing field is maintained between the foreign exporters and the domestic industry.
 - s. The imposition of anti-dumping duty would not create a monopoly for the domestic industry and would be consistent with the larger public interest.

L. RECOMMENDATION

135. The Authority notes that investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of an anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
136. With regard to the form of duties, and taking into account the factual matrix of the case, and after examining the submissions made by all interested parties, the Authority notes that the levy of reference-price/benchmark-based duty provides a stable pricing framework, allowing both domestic producers and importers to operate with greater predictability. It ensures that the remedial measure is proportionate and does not unfairly restrict imports beyond what is necessary to counteract the dumping/injury. After careful examination the Authority notes that the reference-price based duty is the most appropriate form of duties in the factual matrix of the subject investigation.
137. Having regard to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Having regard to the facts of the case and the information on record provided by the interested parties, the Authority recommends imposition of benchmark form of duty.
138. Accordingly, an anti-dumping duty at a rate equal to the difference between the landed value of subject goods and the amount specified as reference price in the corresponding entry in column (7), provided that the landed value is less than the amount indicated in column (7), is recommended to be imposed. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

SN	Heading/sub-headings	Description of the goods	Country of origin	Country of exports	Producers	Amount	UOM	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2921 59 40 and 2921 42 90**	4,4-Diamino Stilbene 2,2-Disulphonic Acid or 2,2'-(1,2-Ethylenediyl) bis (5-aminobenzenesulfonic acid), 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-Disulfonic Acid or DSD Acid.	China PR	Any country including China PR	Tsaker Huayu Chemical Company Limited	3,453	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than SN 1	3,453	MT	US\$
3	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any producer	3,453	MT	US\$

***The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.*

Note:

The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above shall be conditional upon presentation to customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated

and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows: 'I, the undersigned, certify that the (volume) of (product concerned) sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in (country name). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.' If no such invoice is presented, the duty applicable to all other companies shall apply.

This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

M. FURTHER PROCEDURE

139. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/ Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority